छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

RNI Reg. No.-CHHHIN/2009/36148
डाक पंजीयन क्र.-45/Surguja Dn/2024-26

वर्ष - 17 ■ अंक - 173 ■ अम्बिकापुर, शनिवार 04 जुलाई 2026 पृष्ठ -8 ■ मूल्य - 1 रूपये

WWW.cgfrontline.com

वासेपुर दोहरा हत्याकांड का मोस्ट वांटेड 'सब्बीर आलम' डेढ़ दशक से अंबिकापुर में बनाया था ठिकाना

झारखंड पुलिस सादे ड्रेस में पहुंची तो बनी विवाद की स्थिति, मौके का फायदा उठाकर हुआ रफूचक्कर

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। झारखंड के धनबाद, वासेपुर के चर्चित दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी सब्बीर आलम न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा सुनाने के बाद करीब डेढ़ दशक से छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के एक मोहल्ले में अपनी पहचान छिपाकर सामान्य लोगों की तरह रह रहा था। इसकी भनक स्थानीय पुलिस को भी नहीं थी। मामले में निचली अदालत के द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को उच्च न्यायालय के द्वारा बरकरार रखने के बाद सजायाफ्ता गैंगस्टर फरार हो गया।

बता दें कि गैंगस्टर सब्बीर आलम, उसके भाई शाहीद आलम और साथियों ने 18 अक्टूबर 2001 को डॉन फहीम खान की मां नाजमा खातून और चाची शाहनाज खातून की धनबाद के डायमंड क्रासिंग के पास गोली मारकर हत्या कर दी थी, वे दोनों बाजार से लौट रही थीं। गैंगस्टर सब्बीर आलम और डॉन फहीम खान के बीच

दुश्मनी के कारण यह घटना हुई थी। इस हत्याकांड में साबीर आलम मुख्य साजिशकर्ता और आरोपी था। पुलिस ने मामले में गैंगस्टर सब्बीर आलम, शाहीद आलम सहित सात आरोपियों को गिरफ्तार किया था। झारखंड हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सब्बीर आलम भाग गया था, तब से वह पकड़ा नहीं गया है। इधर वर्ष 2018 में धनबाद की अदालत ने शाहीद आलम सहित अन्य आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सब्बीर आलम के छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में रहने की पुष्ट खबर मिलने पर झारखंड पुलिस की एक टीम वारंटी को गिरफ्तार करने पहुंची और रिंगरोड स्थित एक होटल की गली में छापामार कार्रवाई, लेकिन सरगुजा पुलिस को इसकी कोई पूर्व सूचना नहीं दी थी। झारखंड पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में थी, स्थानीय लोगों के विरोध के बीच मौका पाकर सब्बीर आलम भाग गया। घटना ने झारखंड पुलिस की कार्यप्रणाली को सवालों के घेरे में लिया है। मुजरिम के हाथ से निकल जाने के बाद धनबाद पुलिस ने काफी हाथ-पैर मारा और आनन-फानन में सरगुजा पुलिस को इसकी सूचना दी, जिससे पूरे मामले का पर्दाफास हुआ। शहर में दुर्दांत घटनाक्रम के सजायाफ्ता मुजरिम के करीब 15 वर्षों से सामान्य जीवन व्यतीत करने की खबर ने लोगों को सशंकित कर दिया है। बता दें कि, वासेपुर के गैंगस्टरों पर फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर भी बनी है।

झारखंड पुलिस को मिली नाकामी के बाद हुआ पर्दाफास

सरगुजा पुलिस जब सब्बीर आलम का रिकॉर्ड खंगाली, तो करीब डेढ़ दशक से अंबिकापुर में इसके द्वारा ठिकाना बनाकर रहना सामने आया है। इस अवधि में उसने सरगुजा में कोई नया आपराधिक कृत्य नहीं किया है। दोहरे हत्याकांड में सजा के बाद इलाके से भागा सब्बीर आलम स्थानीय लोगों के बीच घुल-मिल गया था, जिससे कभी संदेह की स्थिति नहीं बनी और ना ही सरगुजा पुलिस को कभी इसके रिकार्ड को खंगालने की जरूरत महसूस हुई। झारखंड पुलिस की गुपचुप दबिश और दोहरे हत्याकांड के 'मोस्ट वांटेड' मुजरिम के हाथ से निकल जाने की खबर जब सामने आई तो हर कोई दंग रह गया।

संवेदनशील इलाकों तक सरगुजा पुलिस की नजर

आरोपी के फरार होने के बाद सरगुजा पुलिस सक्रिय है। पुलिस की विभिन्न टीमें सब्बीर आलम की तलाश में लगी है। चूंकि आरोपी को शहर की भौगोलिक स्थिति और गलियों का गहरा ज्ञान 15 वर्ष के अंतराल में हो चुका है, इसलिए उसे पकड़ना पुलिस के लिये चुनौती से कम नहीं है। पुलिस शहर के संवेदनशील इलाकों और संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है, ताकि मोस्ट वांटेड मुजरिम पकड़ में आ सके। मामला सामने आने के बाद न केवल वासेपुर का खौफनाक अतीत ताजा हुआ है, बल्कि पुलिसिया समन्वय के अभाव और अंतर्राज्यीय अपराध नियंत्रण की कमजोर कड़ियां भी उजागर हुई हैं।

अंबिकापुर पुलिस को पकड़ में नहीं आने पर दी सूचना

डीआईजी सह एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल ने कहा कि, धनबाद की पुलिस टीम अंबिकापुर आई थी, उन्हें किसी वारंटी को गिरफ्तार करना था। टीम के सदस्य सरगुजा पुलिस को बगैर सूचना दिए वारंटी को पकड़ने गए थे। जब वारंटी पकड़ में नहीं आया तो पुलिस को सूचना दी गई। सरगुजा और धनबाद पुलिस टीम संयुक्त रूप से वारंटी को तलाशने का प्रयास की, लेकिन वह नहीं मिल पाया है।

मासूम सहित खाट में सोये थे 3 सगे भाई, 2 को करैत डसा, दोनों बच्चों की मौत

एक बच्चे का शव लेकर अंतिम संस्कार के लिये निकले स्वजन, मासूम के मौत की खबर पर रास्ते से लौटे

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सर्पदंश की दो अलग-अलग घटनाओं में दो सगे भाईयों सहित तीन लोगों की मौत हो गई। सगे भाईयों के मौत से स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना में एक बच्चे की मौत के बाद स्वजन शव लेकर अंतिम संस्कार करने गृहग्राम रवाना हुये थे, उन्हें अस्पताल के आईसीयू में भर्ती मासूम के मौत की खबर मिली और वे बीच रास्ते से वापस लौट गये, इसके बाद शोक का माहौल बन गया।

जानकारी के मुताबिक, बलरामपुर-रामानुजगंज जिला अंतर्गत ग्राम पीपरसोत के तुर्रापारा निवासी बिरसपत नगेसिया के 3 पुत्र और 1 पुत्री हैं। दो जुलाई की रात को खाना खाने के बाद एक खाट में अपने माता-पिता के साथ बेटी सो रही थी। दूसरे खाट में बड़े पुत्र विकेश 11 वर्ष के साथ ढाई वर्ष का मासूम विक्रांत और विकास 9 वर्ष सोया था। देर रात करीब 11.45 बजे विक्रांत के रोने की आवाज सुनकर माता-पिता की नींद खुली, और वे खाट के पास पहुंचे, तो वह सिसकी लेकर रो रहा था और हाथ से कान की ओर इशारा करके कुछ बताने का प्रयास कर रहा था। बच्चे को थपकी देकर शांत कराने का प्रयास वे किये, लेकिन वह चुप नहीं हुआ। वे कुछ समझ पाते, इस बीच कक्षा चौथी में पढ़ने वाला विकास नगेसिया भी बाएं हाथ की उंगली में कुछ काटने की बात कहते हुये रोने लगा। घबराये स्वजन ने लाइट की रोशनी में तीनों बच्चों को बिस्तर से हटाया, तो करैत सांप नजर आया, जो विक्रांत को दाहिने कान में और विकास को बायें हाथ की उंगली में डसा था, जिससे उन्हें असहनीय दर्द हो रहा था। करैत को घर में ही एक बर्तन से ढंककर स्वजन संजीवनी 108 एंबुलेंस से दोनों को जिला अस्पताल बलरामपुर लेकर पहुंचे, यहां से प्राथमिक उपचार के चिकित्सक ने इन्हें रिफर कर दिया। तीन जुलाई को दोनों को अलसुबह करीब 5 बजे मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल अंबिकापुर लेकर स्वजन आये, यहां आपातकालीन चिकित्सा परिसर में जांच के बाद 5.50 बजे चिकित्सक ने विकास को मृत घोषित कर दिया। मासूम विक्रांत को आईसीयू में भर्ती किया गया था, शाम को उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने मृत बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।

घर आकर बताया कल मिलेगा किताब

बिरसपत नगेसिया ने बताया कि विकास गांव के ही सरकारी स्कूल में कक्षा चौथी में पढ़ता था। गुरूवार को स्कूल से वापस आने के बाद वह बताया था कि कल स्कूल में किताब मिलेगा। स्कूल से नया किताब मिलने को लेकर वह काफी खुश था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।

सर्पदंश पीड़िता करैत को मारकर गई अस्पताल, इलाज दौरान मौत

एक अन्य घटना में जशपुर जिला के ग्राम दोकड़ा निवासी सेबेस्तिया पति वाराता लोमी खेस 43 वर्ष को बीते 30 जून को करैत सांप डस लिया, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतिका की पुत्री कल्पना खेस बताई कि घटना दिनांक को खाना खाने के बाद उसकी मां चटाई बिछाकर सोई थी। एक जुलाई को अलसुबह करीब 3 बजे दाहिने पैर में घुटना के नीचे करैत सांप डस लिया था। पैर में कुछ काटने का एहसास होने पर सेबेस्तिया की नींद खुली और वह चटाई के पास सांप को देखकर उसे मार दी और अपने पति को सांप के काटने की जानकारी दी। इसके बाद उसे फरसाबहार अस्पताल ले गये, यहां से प्राथमिक उपचार के बाद रेफर करने पर मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराये थे, यहां इलाज के दौरान बुधवार को सुबह करीब 9 बजे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम करके मृतिका के शव को पोस्टमार्टम कराया है।

भाजपा के नेताजी ने महिला सरपंच को सार्वजनिक मंच पर पहना दी माला

समाज के लोगों ने सरपंच और परिवार को एक साल के लिए किया बहिष्कृत

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के रघुनाथनगर थाना क्षेत्र में भाजपा के एक नेताजी ने सार्वजनिक मंच पर महिला सरपंच को माला पहना दिया। यह समाज के लोगों को नागवार लगा और सरपंच और उसके परिवार को समाज ने एक साल के लिये बहिष्कृत करने का फरमान सुना दिया। पीड़ित परिवार ने पुलिस थाने में इसकी सूचना दी है। समाज के लोगों ने सामाजिक दंड नहीं मिलने तक इनकी समाज में वापसी नहीं होने की चेतावनी दी है।

जानकारी के मुताबिक, रघुनाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत हरिगवां में करीब 10 दिन पूर्व भाजपा नेताओं द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मंच पर महिला सरपंच सहित भाजपा नेता मंशाराम साहू सहित अन्य बैठे थे। स्वागत कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता मंशाराम साहू ने मंच पर बैठी महिला सरपंच को माला पहना दी। इसे लेकर जमकर हंगामा

थाने तक पहुंचा मामला, पुलिस कर रही जांच

इधर समाज द्वारा बहिष्कृत किए जाने के बाद महिला सरपंच व उसका परिवार आक्रोशित है। इनका कहना है कि कोई भी पुरुष या नेता, चुनी हुई महिला जनप्रतिनिधि को सार्वजनिक जगह पर माला नहीं पहना सकता है। भाजपा नेता को हाथ में माला देनी चाहिए थी। पीड़ित परिवार ने भाजपा नेता के खिलाफ थाने में शिकायत की है। भाजपा नेता पर पंचायत के कामों में वसूली का भी आरोप लग रहा है। रघुनाथनगर थाना प्रभारी धीरेंद्र तिवारी ने बताया कि दोनों पक्षों ने लिखित शिकायत थाने में की है। मामले की जांच के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। थाना प्रभारी जांच के लिए गांव रवाना हुये हैं, इसके बाद ही आगे की तस्वीर स्पष्ट हो पायेगी।

हुआ। महिला सरपंच के पति ने भाजपा नेता द्वारा माला पहनाने का विरोध किया। इसी बीच खैरवार समाज द्वारा महिला सरपंच व उसके पूरे परिवार का एक साल के लिए बहिष्कार कर दिया गया। समाज के लोगों ने इनके सामने यह शर्त रखी है कि महिला सरपंच के परिवार को सामाजिक दंड मिलने के बाद ही इनकी समाज में वापसी होगी। इसे लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की बातें हो रही हैं।

महिला को चपेट में लेते बेकाबू ट्रैक्टर दीवार तोड़ते घर के अंदर घुसी

गंभीर रूप से घायल महिला की अंबिकापुर लाते तक हो गई मौत

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। घर के सामने खड़े होकर सहेली के साथ बारिश थमने का इंतजार कर रही महिला को ट्रेक्टर का चालक लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुये ठोकर मार दिया। घटना के बाद बेकाबू ट्रेक्टर का इंजन घर के दीवार को तोड़ते अंदर घुस गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला की होलीक्रॉस अस्पताल अंबिकापुर लाते तक मौत हो गई।

जानकारी के मुताबिक, जशपुर जिला के बागबहार थानांतर्गत ग्राम कोकियाखार, कोतबा की पियारमति चौहान 49 वर्ष, 2 जुलाई को बगल के गांव जामझोर अपनी सहेली के साथ जाने के लिए निकली थी। शाम करीब 6 बजे सुकबासीपारा में एक ट्रेक्टर का चालक उन्हें बुरी तरह से चपेट में ले लिया, जिसमें महिला का दोनों पैर टूट गया। इसकी सूचना मोटरसायकल कंपनी में फायनेंसर का काम करने वाले महिला के पुत्र मनोज कुमार चौहान को मिली और वह मौके पर पहुंचा तो घर के बगल में उसकी मां लेटी थी, उनका दोनों जांघ चकनाचूर हो गया था, और काफी खून निकल रहा था। पीड़िता पियारमति की सहेली ने बताया कि स्कूटी निकालने के बाद बारिश से बचने के लिए वे सड़क किनारे घर के बाहर खड़े थे और बारिश के रूकने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान ट्रेक्टर का चालक तेज रफ्तार में लापरवाही पूर्वक सीधे ठोकर मारकर घर के दीवाल को तोड़ते अंदर घुस गया। घटना के बाद ट्रेक्टर वाहन का चालक मौके से भाग गया। घटनाकारित ट्रैक्टर हरिशचंद्र पैकरा पिता गजपति निवासी कोकियाखार की बताई जा रही है। घायल महिला को एजी अस्पताल पत्थलगांव से प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने अंबिकापुर ले जाने की सलाह दी। स्वजन उन्हें गंभीर अवस्था में होलीक्रॉस अस्पताल अंबिकापुर लेकर पहुंचे, यहां आपातकालीन वार्ड में जांच के बाद चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। स्थानीय पुलिस ने मृतिका के पुत्र का बयान लेकर मामले में मर्ग कायम किया है। पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन के सुपुर्द कर दिया गया है।

अवैध खनिज परिवहन पर प्रशासन की कार्रवाई, 4 वाहन जप्त

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देश पर जिले में खनिज विभाग द्वारा अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर लगातार कार्रवाई जारी है। खनि अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार खनि अमला द्वारा 02 जुलाई को अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण पर प्राप्त शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई। तहसील अंबिकापुर अंतर्गत ग्राम सरगंवा में खनिज रेत के अवैध परिवहन करते हुए खनिज टीपर वाहन क्रमांक सीजी 15 ईएफ 1437 वाहन मालिक मनीष प्रताप सिंह, टीपर वाहन क्रमांक सोल्ड टीपर 912 वाहन मालिक हरि यादव एवं वाहन टीपर क्रमांक सीजी 15 ईएफ 0149 वाहन मालिक श्रीकांत जायसवाल से जप्त कर निम्न श्रेणी चूना पत्थर खनिज कलेक्टर परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया है। इसी प्रकार लुण्ड्रा अंतर्गत ग्राम धौरपुर में खनिज साधारण पत्थर वाहन हाईवा क्रमांक सीजी 15 ईएल 0520 वाहन मालिक संतोष अग्रवाल पर अवैध परिवहन का

प्रकरण दर्ज चौकी प्रभारी रघुनाथपुर के अभिरक्षा में दिया गया है। सभी प्रकरणों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 (4) एव एमएमडीआर की धारा 21 (5) एवं 23 एवं छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 यथा संशोधित 22 जून 2026 के नियम 71 के तहत् कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर सतत कार्रवाई जारी रहने की बात कही है।

जिला स्तरीय बास्केटबॉल जूनियर ओपन चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ

जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सरगुजा के युवा खिलाड़ी दिखाएंगे अपनी प्रतिभा

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सरगुजा जिला बास्केटबॉल संघ के तत्वावधान में जिला स्तरीय बास्केटबॉल जूनियर ओपन चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ आज गांधी स्टेडियम स्थित बास्केटबॉल ग्राउंड में उत्साहपूर्ण वातावरण में हुआ। तीन दिवसीय इस प्रतियोगिता में बालक एवं बालिका वर्ग की कुल 12 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता में सरगुजा बास्केटबॉल क्लब, माउंट लिट्रा ज़ी स्कूल, दशमेश पब्लिक स्कूल, उर्सुलाइन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, मॉन्टफोर्ट स्कूल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल

वसुंधरा, होली क्रॉस हायर सेकेंडरी स्कूल एवं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सहित जिले के विभिन्न विद्यालयों एवं क्लबों की टीमें हिस्सा ले रही हैं।

उद्घाटन समारोह में नगर निगम नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद, पार्षद कलीम अंसारी, पार्षद शुभम जायसवाल, शैलेंद्र प्रताप सिंह, हिमांशु जायसवाल, सुरेंद्र गुप्ता, संजय नवाज, सौरभ सिन्हा एवं गौरव सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अतिथियों ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त करके प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और खिलाड़ियों को अनुशासन, खेल भावना एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शुभकामनाएं दीं।

राष्ट्रीय कोच राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि सब-जूनियर प्रतियोगिता के सफल आयोजन के बाद अब जूनियर वर्ग की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की नियमित प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों को अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धात्मक मैच खेलने का अवसर प्रदान करती हैं, जिससे उनके खेल कौशल, आत्मविश्वास एवं मैच प्रेशर को संभालने की क्षमता का विकास होता है। यही खिलाड़ी भविष्य में जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरगुजा का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह प्रतियोगिता 3 से 5 जुलाई 2026 तक गांधी स्टेडियम बास्केटबॉल ग्राउंड, अंबिकापुर में आयोजित होगी। प्रतियोगिता के दौरान रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे तथा विजेता एवं उपविजेता टीमों को ट्रॉफी, मेडल एवं आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रतियोगिता के सफल संचालन में रजत सिंह, सुनैना जायसवाल, आकाश गुप्ता, बबीता तिग्गा, अनुपमा तिर्की, प्रिया जायसवाल, खुशबू गुप्ता, प्रज्ञा मिश्रा, दीपेश सिंह, रिमझिम एवं अभिषेक निर्णायक एवं तकनीकी अधिकारियों के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

(बालाजी क्लीनिक)
मद्रासी दवाखाना
Reg. No. Cg03026 ISO 9001: 2015 CERTIFIED

बादी एवं खूनी बवासीर, नासूर, भगंदर, फीसर एवं कांच (गुदा) का क्षार सूत्र से, एवं आंतों की बीमारियों जैसे पेट का भारीपन, गैस, कब्ज, पुरुष और स्त्री के गुप्त रोगों का आयुर्वेदिक उपचार किया जाता है।

डॉ. के.एम. राव
एम.एस.(आयु) शल्य
भूतपूर्व प्राध्यापक शल्य विभाग
शासकीय आयुर्वेद कॉलेज अहमदाबाद

समय :- सोमवार से शनिवार, सुबह 10 से 2, शाम 6 से 7:30
रविवार सुबह 10 से 2, शाम को बंद रहेगा

बिलासपुर रोड, बिलासपुर चौक, अम्बिकापुर मो. 90099-56307

पीएम जनमन योजना ने बदली कोरवा के परिवार की जिंदगी

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। विकासखंड बलरामपुर के ग्राम पंचायत चिलमा निवासी श्री सरजू कोरवा को प्रधानमंत्री पीएम जनमन आवास योजना के अंतर्गत पक्का आवास मिलने से सपरिवार सुरक्षित जीवन यापन कर रहे हैं।

श्री सरजू कोरवा पहले अपने परिवार के साथ मिट्टी के छप्पर वाले कच्चे मकान में निवासरत थे। बरसात के मौसम में लगातार पानी टपकता था, जिससे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। पीएम जनमन योजना के तहत आवास स्वीकृत होने, समय पर भुगतान एवं तकनीकी मार्गदर्शन मिलने से उनका पक्का मकान निर्धारित समय में पूर्ण हो सका। परिवार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रतिमाह नि:शुल्क राशन, आयुष्मान भारत योजना से स्वास्थ्य सुरक्षा और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से धुआंमुक्त रसोई की सुविधा मिल रही है। इसके अलावा, नल जल योजना से स्वच्छ पेयजल, घर में शौचालय की व्यवस्था के साथ-साथ उनकी पत्नी को महतारी वंदन योजना और ई-श्रम कार्ड का भी नियमित लाभ प्राप्त हो रहा है।

प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए सही रणनीति और निरंतर अध्ययन जरूरी : कलेक्टर

★ जिला ग्रंथालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं की मार्गदर्शक बनीं कलेक्टर, तैयारियों के संबंध में दिए महत्वपूर्ण टिप्स

★ यूपीएससी की तैयारी के लिए आयोजित होगी विशेष कार्यशाला, बाहर से आएंगे विशेषज्ञ शिक्षक

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी जिला मुख्यालय बलरामपुर में स्थित जिला ग्रंथालय के आकस्मिक निरीक्षण पर पहुंचीं। यहां उन्होंने केवल व्यवस्थाओं का निरीक्षण ही नहीं किया, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं के बीच बैठकर उनकी तैयारियों, चुनौतियों और आवश्यकताओं के बारे में सहजता से जाना। उनकी इस सहजता से युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने कलेक्टर से अपनी तैयारियों को लेकर सवाल पूछे तथा मार्गदर्शन मांगा, जिनका जवाब देते हुए कलेक्टर ने उन्हें सटिक रणनीति, समय प्रबंधक और सही अध्ययन सामग्री के महत्व के बारे में बताया। कलेक्टर ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नियमित रूप से आने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या तथा उनकी आवश्यकताओं के संबंध में चर्चा की।

सफलता के लिए अध्ययन शैली और सही पाठ्यक्रम का चयन जरूरी

कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने वहां उनके साथ बैठकर चर्चा की कि वे प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाई की शैली और सही पाठ्यक्रम के चयन के महत्व के बारे में बताते हुए सफलता के मूलमंत्र

पढ़ाई कर रहे युवाओं से उनके लक्ष्यों और तैयारियों के संबंध में पूछा। युवाओं ने बताया कि वे सीजी व्यापम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस पर कलेक्टर ने बेहद सहजता से दिए। संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कलेक्टर ने युवाओं से कहा कि यदि उन्हें अपनी तैयारी के लिए किसी विशेष पुस्तक की आवश्यकता हो, तो उसकी सूची तुरंत ग्रंथपाल को दें, ताकि प्रशासन द्वारा वे पुस्तकें जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने सभी को मन लगाकर तैयारी करने और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

खुलेगी मिलेट्स कैंटीन, जंक फूड पर रहेगा प्रतिबंध

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं ने ग्रंथालय परिसर में एक कैंटीन खुलवाने की मांग रखी। जिस पर कलेक्टर ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी बलरामपुर को निर्देशित किया कि स्थानीय महिला स्व-सहायता समूह के माध्यम से यहां कैंटीन का संचालन शुरू कराया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कैंटीन में पैकेज्ड जंक फूड के स्थान पर पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य सामग्रियां, विशेषकर मिलेट्स (रागी, कोदो, कुटकी) से बने व्यंजन और हेल्दी फूड उपलब्ध कराए जाएं, ताकि पढ़ाई कर रहे युवाओं को बेहतर पोषण मिल सके।

छात्रा की जिज्ञासा पर मुस्कुराई कलेक्टर, विशेषज्ञों की कार्यशाला कराने के दिए निर्देश

ग्रंथालय में अध्ययन कर रही महिमा प्रजापति, जिसे कुछ समय पूर्व कलेक्टर द्वारा यूपीएससी की तैयारी के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराई गई थीं, ने कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी से यूपीएससी की तैयारी और सिलेबस को समझने के संबंध में मार्गदर्शन मांगा। महिमा की जिज्ञासा पर मुस्कुराते हुए कलेक्टर ने उसके सवालों का सहजता से जवाब दिया। जब महिमा ने बताया कि उसके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो कलेक्टर ने अपना मोबाइल निकालकर गूगल पर यूपीएससी का सिलेबस, पुराने प्रश्न पत्र और अध्ययन सामग्री खोज कर दिखाई तथा इंटरनेट का उपयोग करने के आसान तरीके बताए। उन्होंने ग्रंथालय में उपलब्ध कंप्यूटर, इंटरनेट, पत्र-पत्रिकाओं और करंट अफेयर्स का नियमित उपयोग करने की सलाह दी। साथ ही कहा कि प्रशासन द्वारा जिले के यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए बाहर से विशेषज्ञ शिक्षकों को बुलाकर विशेष कार्यशाला आयोजित किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को जिले के यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभागियों की सूची तैयार कर शीघ्र कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिए।

इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी रा. श्री अभिषेक गुप्ता, जिला शिक्षा अधिकारी श्री मनीराम यादव, मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री दीपक एक्का सहित अन्य अधिकारी /कर्मचारीगण उपस्थित थे।

सीएम हेल्पलाइन बनी ग्रामीणों के राहत का माध्यम, रनहत एवं मकरो गांव में हो सुनिश्चित हो रही सतत विद्युत आपूर्ति

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देशानुसार जिले में सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी क्रम में विकासखंड बलरामपुर के ग्राम रनहत एवं मकरो में खराब ट्रांसफार्मर के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित होने संबंधी शिकायत श्री रामकृष्ण मिश्रा द्वारा सीएम हेल्पलाइन में दर्ज कराई गई। शिकायत प्राप्त होते ही विद्युत विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तकनीकी दल को तत्काल मौके पर भेजा।

विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा आवश्यक परीक्षण एवं मरम्मत कार्य कर दोनों गांवों के खराब ट्रांसफार्मरों को सुधारते हुए विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से बहाल कर दी गई। इसके बाद दोनों गांवों के ग्रामीणों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलने लगी, जिससे उन्हें राहत मिली। सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध निराकरण से शासन की जनहितैषी एवं जवाबदेह कार्यप्रणाली प्रभावी रूप से क्रियान्वित हो रही है। समस्या के त्वरित समाधान पर ग्राम रनहत एवं मकरो के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन एवं विद्युत विभाग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सीएम हेल्पलाइन को आमजन की समस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम बताया।

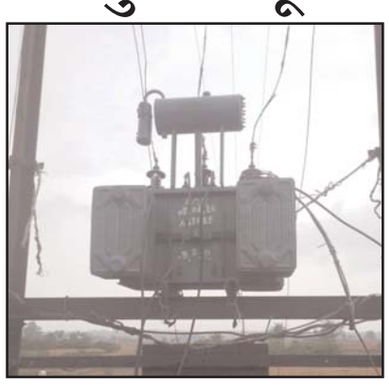

जिला अस्पताल में दिव्यांग बच्चों के लिए लगा विशेष यूडीआईडी कैंप

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देशन में जिला अस्पताल में दिव्यांग बच्चों का यूडीआईडी कार्ड बनाने हेतु विशेष कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग बच्चों का विशिष्ट पहचान पत्र तैयार कर उन्हें शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का त्वरित लाभ दिलाना है। जिला चिकित्सालय में आयोजित इस शिविर में विभिन्न विकासखण्डों से आये हुए 57 बच्चों का विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यक चिकित्सकीय मूल्यांकन कर नियमानुसार दिव्यांगता प्रमाण पत्र/विशिष्ट पहचान पत्र (यूडीआईडी कार्ड) बनाया गया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विजय सिंह ने बताया कि प्रत्येक पात्र बच्चे का पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण परीक्षण सुनिश्चित करते हुए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा ताकि उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शासन की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर और सुगमता से मिल सके।

नवप्रवेशी बच्चों को मुख्य अतिथि बना कराया गया संकुल स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विश्रामपुर में संकुल स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव संपन्न हुआ। कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि इस वर्ष नवप्रवेशी बच्चों को ही कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनाया गया, जिससे शिक्षा के प्रति सम्मान एवं विद्यालय से आत्मीय जुड़ाव का प्रेरणादायी संदेश दिया गया।कार्यक्रम में नगर पंचायत विश्रामपुर की अध्यक्ष निर्मला यादव, नगर पंचायत शिवनंदनपुर के नगर अध्यक्ष रितेश जायसवाल, नपं बिश्रामपुर उपाध्यक्ष दीपेंद्र सिंह चौहान, वरिष्ठ नागरिक तोलाराम जैन, पूर्व एसएमडीसी अध्यक्ष श्यामा पांडेय, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष राजेश यादव,शंकर यादव, कृष्ण कुमार गोयल, पार्षद रविशंकर बउवा, गोपाल सिंह विद्रोही, सूरज शेट्टी, मोहिनी झा, अमित मित्तल, राहुल सिंह एवं प्रकाश सिन्हा सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।संकुल प्राचार्य आशीष कुमार भट्टाचार्य ने संकुल का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए संकुल की शैक्षणिक उपलब्धियों, विभिन्न गतिविधियों एवं भावी योजनाओं पर प्रकाश डाला। मुख्य आकर्षण के रूप में कक्षा 5 वीं, 6 वीं एवं 9 वीं के नवप्रवेशी विद्यार्थियों का अतिथियों द्वारा तिलक लगाकर, मिष्ठान खिलाकर, पाठ्यपुस्तकों एवं विद्यालयीन गणवेश का वितरण करते हुए शाला प्रवेश कराया गया। साथ ही बोर्ड

परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। कक्षा 5 वीं की काजल कुशवाहा कक्षा 8 वीं की तंजीला परवीन, कक्षा 10 वीं की प्रिया सिंह तथा कक्षा 12 वीं की सायमा को उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए सम्मान प्रदान किया गया। खेल के क्षेत्र में विद्यालय का नाम गौरवान्वित करने वाली छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय बेसबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अर्जित करने पर चांदनी तथा दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय बेसबॉल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली चंचल सिंह एवं अंकिता सिंह को मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया।विद्यालय के नवनिर्वाचित यूथ क्लब के पदाधिकारी छात्राओं को वरिष्ठ नागरिक तोलाराम जैन ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नगर पंचायत विश्रामपुर अध्यक्ष श्रीमती निर्मला यादव, श्यामा पांडेय एवं मोहिनी झा ने छात्रा पदाधिकारियों को बैज पहनाकर उनका सम्मान किया।

अतिथियों द्वारा विद्यालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। अंत में संकुल समन्वयक गौरीशंकर पांडेय ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता मेरी दिव्या लकड़ा, राजवंत सिंह एवं गौरीशंकर पांडेय ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान विद्यालय के वरिष्ठ एवं पूर्व व्याख्याता रतिपाल मिश्र, अमर कुमार जैन व अन्य उपस्थित रहे।

भगवान जगन्नाथ की 16 जुलाई को निकलेगी भव्य रथयात्रा

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। आस्था, श्रद्धा और सनातन संस्कृति के महापर्व भगवान श्री जगन्नाथ की रथयात्रा को लेकर कोयलांचल में भक्तों के बीच उत्साह चरम पर है। श्री श्री जगन्नाथ सेवा समिति उत्कल समाज बिश्रामपुर-कुम्दा के तत्वावधान में आयोजित होने वाले नौ दिवसीय धार्मिक महोत्सव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। समिति ने क्षेत्र के समस्त श्रद्धालुओं को महाप्रभु श्री जगन्नाथ की रथयात्रा में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करने का आमंत्रण दिया है। भगवान श्री जगन्नाथ की रथयात्रा भारतीय संस्कृति और वैष्णव परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण उत्सवों में से एक मानी जाती है। इस दौरान भगवान श्री जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र एवं बहन देवी सुभद्रा भव्य रथों पर विराजमान होकर

नगर भ्रमण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि महाप्रभु के रथ का दर्शन करने और रथ की रस्सी खींचने से भक्तों के जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होता है तथा मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। समिति के अनुसार धार्मिक आयोजनों की शुरुआत 29 जून को देव स्नान पूर्णिमा के साथ हो चुकी है। इसके बाद 14 जुलाई को नेत्र उत्सव, कड़ी चावल भोग एवं भगवान के नवयौवन वेश के दर्शन कराए जाएंगे। महोत्सव का मुख्य आकर्षण 16 जुलाई, गुरुवार को आयोजित होने वाली भव्य श्री गुणिंचा रथयात्रा होगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है।यहां पर 19 जुलाई को वार्षिक उत्सव, 20 जुलाई को हेरा पंचमी एवं महालक्ष्मी यात्रा, 24 जुलाई को बाहुड़ा यात्रा रथ वापसी, 25 जुलाई को भगवान का मनोहारी स्वर्ण वेश, 26 जुलाई को अधर पंणा तथा 27 जुलाई को नीलाद्री प्रवेश के साथ महोत्सव का समापन होगा। समिति के सदस्यों ने बताया कि प्रत्येक आयोजन के दौरान विशेष पूजा-अर्चना, भजन-कीर्तन, महाप्रसाद वितरण तथा धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आयोजन स्थल को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है ताकि श्रद्धालु भक्तिमय वातावरण में भगवान के दर्शन कर सकें।

श्री श्री जगन्नाथ सेवा समिति के संरक्षक अशोक स्वांई, अध्यक्ष सेनापति प्रधान, सचिव सूरज सेठी तथा सह-कोषाध्यक्ष अलंकार नायक ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे परिवार सहित इस धार्मिक महोत्सव में शामिल होकर महाप्रभु श्री जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें और रथयात्रा को सफल बनाने में अपनी सहभागिता निभाएं।

25 हजार रुपये के छोटे ऋण ने बदली जिंदगी, बकरी पालन और सब्जी उत्पादन से आत्मनिर्भर बनीं

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन तथा जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर के नेतृत्व में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से जिले की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि जनपद पंचायत बलरामपुर के ग्राम लुरघुट्टा की श्रीमती पूनम कुशवाहा ने स्व-सहायता समूह से मिले मात्र 25 हजार रुपये के ऋण को आजीविका का मजबूत आधार बनाकर अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में सहयोग कर रही है।

कुछ समय पहले तक उनके पति श्री आनंद कुशवाहा की सीमित आय से परिवार का भरण-पोषण कठिनाई से हो पाता था। पूनम भी परिवार की आय बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहती थीं, लेकिन पूंजी का अभाव सबसे बड़ी बाधा था। इसी दौरान वे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत पार्वती महिला स्व-सहायता समूह से जुड़ीं। समूह के माध्यम से नियमित बचत, प्रशिक्षण और बैंक लिंकेज की सुविधा मिलने के बाद उन्हें 25 हजार रुपये का ऋण प्राप्त हुआ।

पूनम ने इस राशि से उन्नत नस्ल की बकरियां खरीदीं और वैज्ञानिक तरीके से उनका पालन शुरू किया। बकरियों से प्राप्त जैविक खाद का उपयोग कर उन्होंने अपनी बाड़ी में टमाटर, मिर्च, बैंगन सहित विभिन्न मौसमी सब्जियों की खेती भी शुरू की। स्थानीय बाजार में सब्जियों की बिक्री और समय-समय पर बकरियों के विक्रय से उनकी आय लगातार बढ़ती गई। बच्चों की शिक्षा बेहतर हुई है, परिवार की जरूरतें आसानी से पूरी हो रही हैं और वे स्व-सहायता समूह से लिए गए ऋण का समय पर भुगतान भी कर रही हैं। वे कहती हैं कि समूह से जुड़ने के बाद मुझे आत्मविश्वास मिला। 25 हजार रुपये का ऋण मेरे लिए नई शुरुआत साबित हुआ। आज मैं अपने परिवार की आय बढ़ाने के साथ अन्य महिलाओं को भी स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित कर रही हूं।

खराब मौसम में कैसे करें आकाशीय बिजली से बचाव? जिला प्रशासन ने जारी की एडवायजरी

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। वर्षा ऋतु के दौरान आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं को देखते हुए कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने जिलेवासियों से सतर्कता बरतने की अपील की है। जिला प्रशासन द्वारा जनहानि की संभावनाओं को कम करने और लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से नागरिकों को मौसम संबंधी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की सलाह दी गई है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विजय सिंह ने आमजनों से अपील करते हुए कहा है कि मौसम खराब होने, तेज गरज-चमक या आकाशीय बिजली की आशंका होने पर तत्काल किसी पक्के भवन अथवा बंद वाहन में शरण लें।

गरज-चमक के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और जलाशयों से दूर रहने की सलाह

खेतों, खुले मैदानों, पहाड़ी क्षेत्रों, जलाशयों तथा पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें। साथ ही मौसम विभाग एवं प्रशासन द्वारा जारी चेतावनियों पर ध्यान दें और अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें। यदि कोई व्यक्ति खुले स्थान पर फंस जाए तो दोनों पैरों को साथ रखकर नीचे झुक जाएं, सिर नीचे रखें और हाथ घुटने पर रखकर सुरक्षित स्थिति में रहें। ऐसी स्थिति में जमीन पर पूरी तरह लेटने से बचें तथा आसपास मौजूद अन्य लोगों से उचित दूरी बनाए रखें। साथ ही उन्होंने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने की स्थिति में तुरंत 108 एम्बुलेंस सेवा अथवा निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। यदि प्रभावित व्यक्ति की सांस या नाड़ी नहीं चल रही हो तो प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा सीपीआर प्रारंभ किया जा सकता है तथा उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाना चाहिए।

जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि वर्षाकाल के दौरान सावधानी और सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। प्रशासन ने लोगों से मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने तथा गरज-चमक के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहने का आग्रह किया है, ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि से बचा जा सके।

15 लाख का रपटा बना 'शोपीस', अब परेशान ग्रामीण चंदा कर खुद बनाएंगे रास्ता

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले के भैयाथान विकासखंड के ग्राम खुटरापारा डूमरिया से केवरा भैयाथान पहुंच मार्ग से प्रशासनिक लापरवाही और तकनीकी विफलता का एक ऐसा जीता जागता उदाहरण सामने आया है, जिसने क्षेत्र के विकास के दावों को पूरी तरह खोखला साबित कर दिया है। गोबरी नदी पर लगभग 15 लाख रुपये की लागत से निर्मित स्थायी रपटा पुल आज विभागीय अनदेखी के कारण शोपीस बन कर रह गया है। तमाम शिकायतों और प्रशासनिक मिन्नतों के बाद भी जब बहरे सिस्टम के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, तो क्षेत्र के आक्रोशित युवाओं और स्थानीय निवासियों ने गांधीवादी रास्ता अख्तियार किया है। रपटा पुल की दयनीय स्थिति और दोनों ओर से गायब अप्रोच रोड को युवा अब खुद ही चंदे के पैसे से बनाने की

मुहिम शुरू कर दी है।

निरीक्षण का ड्रामा, पहली ही बारिश में ढह गए सारे दावे

कुछ समय पहले सत्ताधारी दल के नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने बड़े तामझाम के साथ इस पुल का भौतिक निरीक्षण किया था। तब जनता की आंखों में यह आस जागी थी कि शायद इस बार पुल और सड़क का कायाकल्प हो जाएगा। लेकिन नेताओं के जाते ही फाइलें फिर से ठंडे बस्ते में दब गईं। मानसून की शुरूआत होते ही बदहाल सड़क व्यवस्था की कलई पूरी तरह खुल चुकी है। नेताओं द्वारा बरसात से पहले व्यवस्था दुरुस्त करने के जितने भी दावे किए गए थे, पहली ही बारिश ने उनकी पोल खोलकर रख दी।

घुटने भर कीचड़ और जलभराव के बीच आवागमन मजबूरी

गोबरी नदी पर बना यह रपटा पुल कोई मामूली रास्ता नहीं है। यह मार्ग ग्राम पंचायत गंगौटी, डबरीपारा, खुटरापारा, बासापारा,

भवरहा, सोनपुर, करौंदा मुंडा, टेगनी, बिलारो, बड़सरा, बस्कर और पन्डोपारा जैसे दर्जनभर से अधिक गांवों और बस्तियों को आपस में जोड़ता है। रपटा के दोनों ओर लगभग 3-3 सौ मीटर तक एप्रोच रोड का निर्माण अधूरा छोड़ दिए जाने के कारण, डाली गई कच्ची मिट्टी अब एक जानलेवा दलदल में तब्दील हो चुकी है। आलम यह है कि आम जनता को रोजाना घुटने भर कीचड़ और जलभराव के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ रहा है। दोपहिया वाहन लगातार फिसल रहे हैं, चारपहिया गाड़ियां इस दलदल में धंस रही हैं और पैदल चलना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। बच्चों को स्कूल जाने, मरीजों को अस्पताल ले जाने और किसानों को अपने खेतों तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

प्रशासन की अनदेखी से तंग आकर क्षेत्रीय युवाओं ने आंदोलन की कमान संभाल ली है। युवाओं का दोटूक कहना है कि हम अब और आश्वासन नहीं सुनेंगे। युवाओं की टोली अब घर-घर, बाजार और दुकानों में घूम-घूमकर रपटा पुल में जाने के लिए अप्रोच रोड हेतु सहयोग राशि का डिब्बा लेकर चंदा इकट्ठा कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार भले ही सोई रहे, लेकिन वे अपने रोजमर्रा के जीवन को ठप नहीं होने दे सकते। चंदे से जुटने वाले पैसों से स्टोन डस्ट, मुरुम और बोल्डर खरीदकर इस दलदली मार्ग को खुद ही चलने योग्य बनाया जाएगा। युवाओं ने संकल्प लिया है कि जब तक अप्रोच रोड का निर्माण पूरा नहीं हो जाता, तब तक चंदा जुटाने और खुद काम करने की यह मुहिम लगातार जारी रहेगी। यह अनोखा प्रदर्शन सिस्टम को आईना दिखाने का काम कर रहा है।

निरीक्षणों का रिकॉर्ड, नेता चमकाते रहे चेहरा, जनता झेलती रही दर्द

इस पूरे मामले का सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि पिछले एक साल से गोबरी नदी का यह पुल पूरी तरह से टूटा हुआ है। इस एक साल के भीतर क्षेत्र के विधायक, मंत्री, मंत्री प्रतिनिधि, भाजपा मंडल अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य और जनपद सदस्यों सहित तमाम छोटे-बड़े जनप्रतिनिधियों और आला अधिकारियों ने यहाँ का 'निरीक्षण पर निरीक्षण' किया है। अफसोस की बात यह है कि इन दौरों से न तो सड़क की किस्मत बदली और न ही जनता की तकदीर। हर बार नेता और अधिकारी लाव-लश्कर के साथ आते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, बड़े-बड़े आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं। एक साल बीत जाने के बाद भी जमीनी स्थिति 'जस की तस' बनी हुई है। नेताओं के वीआईपी दौरों की संख्या तो बढ़ती गई, लेकिन एप्रोच रोड पर मुरुम की एक खेप तक नसीब नहीं हुई। यह इस बात का साफ प्रमाण है कि व्यवस्था के लिए जनता की तकलीफ सिर्फ एक 'फोटो अपॉर्चुनिटी' बनकर रह गई है।

ग्रामीणों के सवाल

बिना जीएसबी, डब्ल्यूएमएम और स्टोन डस्ट के सड़क पर सिर्फ मिट्टी डालकर छोड़ देने वाले ठेकेदार और इंजीनियर पर कार्रवाई कब होगी। क्या इस कार्य का भौतिक सत्यापन और गुणवत्ता परीक्षण सिर्फ कागजों पर ही कर लिया गया था।

पहली ही बारिश में जब सड़क दलदल बन गई, तो इस लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा। क्या जिला प्रशासन इस जनसहयोग को अपनी नाकामी मानेगा या तत्काल जमीनी कार्रवाई कर अधूरी पड़ी परियोजना को पूरा कराएगा। अब समय आ गया है कि खोखले आश्वासनों का दौर बंद हो और तत्काल जमीनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि त्रस्त हो चुकी जनता अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि सीधा जवाब और पक्का समाधान चाहती है।

कार्यशाला में वन विभाग के अफसरों को डॉ.डी.के. सोनी ने दी आरटीआई का प्रशिक्षण

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। सरगुजा वन वृत्त में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य वन संरक्षक दिलराज प्रभाकर के निर्देश पर हुई इस कार्यशाला में आरटीआई एक्टिविस्ट एवं अधिवक्ता डॉ. डी.के. सोनी ने मुख्य संसाधन व्यक्ति के रूप में प्रशिक्षण दिया। सरगुजा संभाग के 6 वन मंडलों से 120 से 125 अधिकारियों ने भाग लिया। सीसीएफ दिलराज प्रभाकर ने बताया कि पिछले लगभग एक वर्ष से क्षेत्र में आरटीआई पर कोई

कार्यशाला आयोजित नहीं हुई थी। इस दौरान कई नए विकास और व्यावहारिक चुनौतियां सामने आईं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण जरूरी था। कार्यशाला का उद्देश्य नवीनतम प्रावधानों, कानूनी प्रक्रियाओं और आवेदनों के प्रभावी-समयबद्ध निराकरण पर अधिकारियों को प्रशिक्षित करना था। डॉ. डी.के. सोनी ने आरटीआई की विभिन्न धाराओं, सूचना उपलब्ध कराने की प्रक्रिया, आवेदनों के निष्पादन, अपील की व्यवस्था और कानूनी पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया।

कृषक संगोष्ठी में नैनो उर्वरकों, संतुलित पोषण एवं सहकारिता से समृद्ध कृषि पर जोर

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। सहकारिता सप्ताह अंतर्गत सरगुजा जिले के ग्राम मेंड्राकला में कृषि विभाग एवं इफको के द्वारा संयुक्त तत्वावधान में कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। 29 जून से 06 जुलाई तक मनाए जा रहे सहकारिता सप्ताह के तहत आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, नैनो उर्वरकों के उपयोग, सहकारिता के महत्व एवं

शासन की विभिन्न कृषि हितैषी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सरगुजा के अध्यक्ष रामकिशुन सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सहकारी संस्थाएं किसानों की रीढ़ हैं। उन्होंने अधिक से अधिक किसानों से सहकारी संस्थाओं की सदस्यता ग्रहण करने तथा सहकारी समितियों एवं सहकारी बैंकों के माध्यम से शासन की योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में संतुलित उर्वरक उपयोग, जैविक खेती तथा नैनो उर्वरकों को अपनाकर कृषि लागत कम करने के साथ-साथ मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सरगुजा के उपाध्यक्ष जगदीश साहू ने सहकारिता की भावना को किसानों की समृद्धि का आधार बताते हुए सहकार से विकास की अवधारणा पर विस्तार से प्रकाश डाला। इफको के क्षेत्रीय अधिकारी भूपेंद्र पाटीदार ने किसानों को नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी के वैज्ञानिक उपयोग, उनके लाभ, लागत में कमी, फसल उत्पादकता में वृद्धि तथा कृषि ड्रोन के माध्यम से नैनो उर्वरकों के छिड़काव की आधुनिक तकनीक की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नैनो उर्वरकों के उपयोग से परिवहन में सुविधा, उर्वरकों की बचत तथा पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है। इस अवसर पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सरगुजा के विशेष कार्यपालन अधिकारी आशीष चंद्राकर, सहकारी संस्थाओं के सहायक आयुक्त पैंकरा भी उपस्थित रहे।

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के विपणन अधिकारी के.पी.सिंह बाला ने किसानों को बैंक द्वारा संचालित विभिन्न ऋण एवं वित्तीय सुविधाओं की जानकारी दी।

बंदियों के कौशल विकास हेतु जिला जेल में शुरू हुआ 12 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यहाँ जिला जेल में 12 दिवसीय कौशल विकास एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। जिसमे 35 बंदियों को अगरबत्ती एवं साबुन निर्माण का व्यावहारिक एवं उद्यमिता आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बंदियों को स्वरोजगारपरक कौशलों से प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाना तथा रिहाई के उपरांत सम्मानजनक आजीविका अर्जित करने में सक्षम बनाना है। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को

अगरबत्ती एवं साबुन निर्माण की संपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है, जिसमें कच्चे माल का चयन, सामग्री की गुणवत्ता, मशीन एवं उपकरणों का सुरक्षित उपयोग, उत्पादन की वैज्ञानिक विधियां, गुणवत्ता नियंत्रण, आकर्षक पैकेजिंग, ब्रांडिंग, विपणन, लागत निर्धारण, लाभ-हानि का आकलन तथा लघु उद्योग स्थापित करने संबंधी महत्वपूर्ण विषय सम्मिलित हैं। इसके अलावे प्रतिभागियों को बैंकिंग सेवाओं, वित्तीय साक्षरता, बचत की आदत, ऋण सुविधाओं, सरकारी स्वरोजगार योजनाओं तथा उद्यमिता विकास से संबंधित विषयों पर भी विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण के माध्यम से बंदियों में तकनीकी कौशल के साथ-साथ सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, अनुशासन, समय प्रबंधन, टीम भावना तथा स्वावलंबन की भावना का विकास करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि रिहाई के पश्चात वे समाज की मुख्यधारा से जुड़कर स्वयं का रोजगार स्थापित कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सकें। इस अवसर पर जेलर विक्रम गुप्ता ने कहा कि कौशल विकास आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम बंदियों के पुनर्वास की दिशा में अत्यंत प्रभावी पहल है। ऐसे कार्यक्रमों से बंदियों को नया जीवन प्रारंभ करने का अवसर मिलता है तथा वे समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित होते हैं। लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर संदीप कुमार ने कहा कि वर्तमान समय में स्वरोजगार आत्मनिर्भरता का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने प्रतिभागियों को प्रशिक्षण का पूर्ण लाभ उठाने तथा भविष्य में स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित करते हुए बताया कि बैंक एवं विभिन्न सरकारी योजनाएं पात्र हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करती हैं। आरएसईटीआई निर्देशक अशोक कुमार राणा ने प्रशिक्षण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान का उद्देश्य ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना है।

इंजीनियरिंग कॉलेज को 14 करोड़ की सौगात, बनेंगे आधुनिक लैब और हॉस्टल

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। राज्य शासन ने कॉलेज के अधोसंरचनात्मक विकास के लिए 14.0822 करोड़ रुपये की निर्माण स्वीकृति दी है। वर्ष 2010 से लगभग 16 वर्षों से लंबित योजना अब साकार होगी। लोक निर्माण विभाग एकीकृत निविदा के माध्यम से वर्तमान भवन की तर्ज पर जी+1 के दो नवीन शैक्षणिक भवनों का निर्माण कराएगा। प्रथम भवन में सिविल, मैकेनिकल और माइनिंग इंजीनियरिंग विभाग तथा

द्वितीय भवन में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एवं एमबीए विभाग संचालित होंगे। हर विभाग के लिए आधुनिक प्रयोगशालाएं भी बनेंगी। परियोजना के तहत 100 सीटर बालिका छात्रावास, बाउंड्री वॉल, वाहन पार्किंग शेड और अन्य अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण होगा। निर्माण कार्य का शुभारंभ बाउंड्री वॉल से किया जाएगा। इससे परिसर को अतिक्रमण-मुक्त बनाने में मदद मिलेगी। सभी कार्यों की निविदा पीडब्लूडी द्वारा एक साथ निकाली जाएगी।

हत्या के प्रयास मामले में फरार 5 आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय ने जारी की उद्घोषणा

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले के बसदेई चौकी में दर्ज हत्या के प्रयास मामले में फरार चल रहे पांच आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी करते हुए उन्हें 10 अगस्त अथवा उससे पूर्व न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। बताया गया है कि प्रार्थिया हसीना बीबी ग्राम जुर के द्वारा इसी वर्ष 14 अप्रैल को चौकी बसदेई में रिपोर्ट दर्ज करायी गई है कि मो. अयूब के साथ उसका जमीनी विवाद चल रहा है। घटना दिवस 14 अप्रैल को वह अपनी सास, ससुर व बहू के साथ खेत में थी। इसी दौरान आरोपीगण लाठी-डंडा से सुज्जित होकर आये और गाली-गलौज करते हुए बोले की वे लोग खेत में क्या कर रहे हैं, यहाँ से हट जाओ नहीं तो जान से खत्म

कर देंगे, विवाद सुनकर जब प्रार्थिया के पति यासीन हफीजी मौके पर आये तो, आरोपियो ने लाठी-डण्डा से यासीन हफीजी पर हमला कर दिया, जिससे पति के सिर में गंभीर चोटें आई और चिकित्सकीय परीक्षण में चोट को मानव जीवन के लिए खतरनाक बताया गया। महिला की रिपोर्ट पर बसदेई चौकी में धारा 296(बी), 351(3), 115(2), 191(1), 191(2), 109 बीएनएस के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपियों की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो सकी। न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट भी तामील नहीं हो सका तथा पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार सभी आरोपी फरार होकर न्यायिक प्रक्रिया से बच रहे हैं। इसी आधार पर न्यायालय ने आरोपी मोहम्मद अयुब अंसारी पिता अवैस करनी, अख्तर रजा पिता मो. अयुब अंसारी, उमर रजा पिता मो. अयुब अंसारी, असलम अंसारी पिता अनवर हुसैन, सफिरन निशा पति मो. अयुब अंसारी सभी निवासी जूर के विरुद्ध बीएनएसएस की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी करते हुए उन्हें 10 अगस्त अथवा उससे पूर्व न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

आकाशीय बिजली एवं सर्पदंश से बचाव हेतु कलेक्टर ने की सावधानी बरतने की अपील

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले में वर्षा ऋतु के दौरान आकाशीय बिजली गिरने एवं सर्पदंश की बड़े पैमाने पर होने वाली घटनाओं को देखते हुए कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने जिलेवासियों से सतर्कता बरतने की अपील की है। जिला प्रशासन द्वारा जनहानि की संभावनाओं को कम करने तथा लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से नागरिकों को मौसम संबंधी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की सलाह दी गई है।

सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव- डॉ पैकरा

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.डी. पैकरा ने आमजनों से आग्रह करते हुए कहा है कि मौसम खराब होने, तेज गरज-चमक अथवा आकाशीय बिजली की आशंका होने पर तत्काल किसी पक्के भवन या बंद

वाहन में शरण लें। उन्होंने खेतों, खुले मैदानों, पहाड़ी क्षेत्रों, जलाशयों तथा पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह देते हुए कहा कि मौसम विभाग एवं प्रशासन द्वारा जारी चेतावनियों पर ध्यान दें और अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें। यदि कोई व्यक्ति खुले स्थान पर फंस जाए तो दोनों पैरों को साथ रखकर नीचे झुक जाएं, सिर नीचे रखें और हाथों को घुटनों पर रखकर सुरक्षित स्थिति में रहें, किन्तु जमीन पर पूरी तरह लेटने से बचें तथा आसपास मौजूद अन्य लोगों से उचित दूरी बनाए रखें। डॉ. पैकरा ने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने अथवा सर्पदंश की स्थिति में तत्काल 108 एम्बुलेंस सेवा या निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र से संपर्क करें। यदि प्रभावित व्यक्ति की सांस अथवा नाड़ी नहीं चल रही हो तो प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा सीपीआर प्रारंभ किया जा सकता है और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाना चाहिए। सर्पदंश से होने वाली जनहानि की रोकथाम के संबंध में उन्होंने रात्रि विश्राम के समय जमीन पर न सोने की अपील की है।

सर्पदंश की स्थिति में तत्काल पहुंचे नजदीकी अस्पताल

जिला महामारी विशेषज्ञ डॉ. जसवंत दास ने आमजनों से अपील करते हुए कहा कि सर्पदंश की स्थिति में झाड़-फूंक अथवा बैगा-गुनिया इत्यादि से इलाज न कराएं, बल्कि प्रभावित व्यक्ति को शीघ्र निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में उपचार हेतु ले जाएं। उन्होंने बताया कि जिले में पर्याप्त मात्रा में एण्टी स्नेक वेनम की दवाइयां उपलब्ध हैं। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि वर्षाकाल के दौरान सावधानी और सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। प्रशासन ने लोगों से मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने तथा गरज-चमक के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहने का आग्रह किया है।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में विशेष आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों हेतु काउंसिलिंग आज

अंबिकापुर। शिक्षण सत्र 2026-27 में जिले में संचालित 05 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु आयोजित प्राक्रयन परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा चुका है। कक्षा 6वीं प्रवेश की अंतिम प्रक्रिया के तहत काउंरालिग केन्द्र इत्यादि का विस्तृत विवरण वेब पोर्टल पर उपलब्ध है। कक्षा 6वीं प्रवेश के लिये काउंसलिंग हेतु चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन एवं काउंसलिंग हेतु तिथियां निर्धारित की गई हैं। जानकारी के अनुसार विशेष पिछड़ी जनजाति समूह एवं प्रवेश दिशा-निर्देश में दर्शित विशेष आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों हेतु आज 04 जुलाई को जिले में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में काउंसिलिंग होगी। वह अभ्यार्थी जो विकासखण्ड स्तर, जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर काउंसिलिंग में किसी कारणवश शामिल नहीं हो पाएं हैं

सम्पादकीय

तनाव के बाद राहत की नई शुरुआत

खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव ने न केवल वैश्विक शांति बल्कि अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, आपूर्ति बाधित होने की आशंका और बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की चिंताएं बढ़ा दी थीं, लेकिन अब हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं और इसके साथ राहत के संकेत भी दिखाई देने लगे हैं। एक जुलाई से लागू हुए कई बदलाव यह भरोसा दिलाते हैं कि संकट के बाद बेहतर दौर की शुरुआत संभव है। इसे तनाव के बाद राहतों की नई शुरुआत माना जा रहा है। सबसे बड़ी राहत ऊर्जा क्षेत्र से मिली है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घटकर करीब 73 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई हैं। इसका असर भारत में भी दिखाई देने लगा है। निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 3 रुपये प्रति लीटर सस्ता कर दिया है। यह केवल कीमतों में कमी नहीं, बल्कि यह संदेश भी है कि वैश्विक परिस्थितियां सामान्य होने का लाभ अब आम उपभोक्ता तक पहुंचने लगा है। अब उम्मीद की जा सकती है कि यदि कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह नियंत्रित रहीं तो अन्य तेल कंपनियां भी जल्द राहत देने की दिशा में कदम बढ़ाएंगी। महंगाई पर नियंत्रण की दिशा में एक और सकारात्मक खबर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में औसतन 180 रुपये की कमी है। इससे होटल, रेस्तरां और छोटे कारोबारियों की लागत घटेगी। यदि यह लाभ ग्राहकों तक पहुंचता है तो बाहर खाना, छोटी-बड़ी कैटरिंग और कई सेवाएं अपेक्षाकृत सस्ती हो सकती हैं। डीजल भरवाने की दैनिक सीमा हटने से परिवहन और उद्योग जगत को भी राहत मिलेगी, जिससे माल ढुलाई सुचारू होगी और बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता बेहतर बनेगी। इसी बीच प्रकृति ने भी राहत का संदेश दिया है। मानसून ने देश के अधिकांश हिस्सों में दस्तक दे दी है। अच्छी बारिश किसानों के चेहरों पर मुस्कान लेकर आती है। खेतों में हरियाली बढ़ती है, फसल की उम्मीद मजबूत होती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलती है। कृषि उत्पादन अच्छा रहने पर खाद्य महंगाई पर भी नियंत्रण रखने में मदद मिलती है। ऐसे में बारिश और ईंधन क्षेत्र से मिली राहत मिलकर अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक माहौल तैयार कर सकती है। हालांकि पासपोर्ट शुल्क में बढ़ोतरी और बिना टिकट यात्रा पर जुर्माना बढ़ना कुछ लोगों की जेब पर असर जरूर डालेगा, लेकिन व्यापक तस्वीर देखें तो एक जुलाई कई ऐसे बदलाव लेकर आया है जो अर्थव्यवस्था और आम जनजीवन में सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। संकट के दौर के बाद ऐसे छोटे-छोटे कदम ही लोगों में विश्वास जगाते हैं कि हालात सुधर रहे हैं। भारत ने हमेशा कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्य और संतुलन से किया है। आज भी दुनिया जब भू-राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रही है, तब राहत के ये संकेत केवल आर्थिक आंकड़े नहीं, बल्कि उम्मीद के प्रतीक हैं। यदि वैश्विक शांति बनी रहती है, कच्चे तेल की कीमतें नियंत्रित रहती हैं और मानसून अनुकूल रहता है, तो आने वाले महीनों में महंगाई पर और लगाम लग सकती है तथा आर्थिक गतिविधियां नई रफ्तार पकड़ सकती हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यदि ईंधन की कीमतों में और कमी आती है, महंगाई नियंत्रित रहती है और कृषि उत्पादन बेहतर होता है, तो यह केवल अस्थायी राहत नहीं, बल्कि आर्थिक मजबूती की नई शुरुआत साबित हो सकती है। आखिरकार किसी भी नीति की सफलता का सबसे बड़ा पैमाना यही है कि उसका लाभ आम आदमी की थाली, जेब और जीवन में कितना दिखाई देता है।

कोर्ट का फैसला

प्रमोद भार्गव

अदालत ने कहा कि धर्म बदलने वाला व्यक्ति 'पिछड़ा वर्ग मुस्लिम' का दर्जा मांगने का अधिकार नहीं रखता है। क्योंकि मुस्लिम समाज में भी अलग-अलग समुदाय और वर्ग होते हैं, परंतु उनकी पहचान जन्म से तय होती है न कि धर्म परिवर्तन से ? अदालत ने यह भी कहा कि इस्लामिक उपदेशक और ईसाई मिशनरियां सदियों से यह प्रचार करती आई हैं कि उनके धर्मों में सामाजिक समानता है, जबकि हिंदू धर्म में जाती व्यवस्था एक बुनियादी विसंगति है। अतएव धर्म परिवर्तन के लिए ऐसा रुख अपनाने के बाद यह कहना बेमानी है कि इस्लाम में भी ऊंच-नीच या वर्गभेद है।

इस्लाम धर्म अपनाने पर आरक्षण नहीं

उच्च न्यायालय मद्रास ने तमिलनाडु सरकार के उस अहम आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत हिंदू धर्म के पिछड़े, अति पिछड़े या अनुसूचित जाति वर्ग के लोग इस्लाम अपनाने के बाद भी 'पिछड़े वर्ग मुस्लिम' का जाति प्रमाण पत्र ले सकते थे। सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण पा लेने की इस सुविधा को न्यायालय ने दो टूक शब्दों में असंवैधानिक माना है। अदालत ने कहा कि धर्म बदलने वाला व्यक्ति 'पिछड़ा वर्ग मुस्लिम' का दर्जा मांगने का अधिकार नहीं रखता है। क्योंकि मुस्लिम समाज में भी अलग-अलग समुदाय और वर्ग होते हैं, परंतु उनकी पहचान जन्म से तय होती है न कि धर्म परिवर्तन से ? अदालत ने यह भी कहा कि इस्लामिक उपदेशक और ईसाई मिशनरियां सदियों से यह प्रचार करती आई हैं कि उनके धर्मों में सामाजिक समानता है, जबकि हिंदू धर्म में जाती व्यवस्था एक बुनियादी विसंगति है। अतएव धर्म परिवर्तन के लिए ऐसा रुख अपनाने के बाद यह कहना बेमानी है कि इस्लाम में भी ऊंच-नीच या वर्गभेद है।

हमारी राय में कुछ मुस्लिम समुदायों को पिछड़ा और कुछ को अगड़ा मानना कुरान की शिक्षाओं के खिलाफ है। दरअसल इस्लाम एक ऐसा समाज बनाना चाहता है, जिसमें सब का दर्जा एक समान रहे। यह ऐतिहासिक फैसला न्यायामूर्ति जीआर स्वामीनाथन और पीबी बालाजी की पीठ ले दिया है। इस मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने तमिलनाडु सरकार के तीन मार्च 2024 के आदेश को आधार बनाया था। इसमें आरक्षित श्रेणियों से धर्मांतरित लोगों को तमिलनाडु में अधिसूचित सात पिछड़े वर्ग के मुस्लिम समूहों में से एक से संबंधित होने का सामुदायिक प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकता था। सरकार ने अपने आदेश में यह प्रावधान किया था कि अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या डी-नोटिफाइड समुदायों से आने वाले व्यक्ति यदि इस्लाम धर्म अपनाते हैं तो उन्हें पिछड़ा वर्ग मुस्लिम की क्षेणी में आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। इस सिलसिले में सरकार का तर्क था कि धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे और सामाजिक संतुलन बना रहेगा, किंतु अदालत ने कहा कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं, बल्कि सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन है। इसी से मिलती-जुलती प्रकृति के एक एक मामले में फैसला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय कह चुका है कि बिना किसी वास्तविक आस्था के केवल आरक्षण के लाभ हेतु किया गया धर्म परिवर्तन संविधान के साथ धोखाधड़ी है। सी सेल्वरानी की याचिका पर 26 नवंबर 2024 को फैसला सुनाते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय के 24 नवंबर के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें ईसाई धर्म अपना चुकी एक महिला को अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र देने से इनकार कर दिया गया था। महिला ने बाद में आरक्षण के तहत रोजगार का लाभ प्राप्त करने के लिए हिंदू होने का दावा किया था, लेकिन इस पीठ ने फैसले में साफ किया कि कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म को तभी अपनाता है, जब वह वास्तव में उसके सिद्धांतों और धर्म आधारित आध्यात्मिक विचारों से प्रेरित होता है। यदि धर्म परिवर्तन का मकसद दूसरे धर्म में वास्तविक आस्था होने की बजाय आरक्षण का लाभ प्राप्त करना है तो इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसी गलत इच्छा रखने वाले लोगों को आरक्षण

का लाभ देने से आरक्षण नीति के सामाजिक व्यवहार को क्षति पहुंचेगी। बावजूद सेल्वरानी हिंदू होने का दावा करती है और नौकरी के लिए अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र मांगती है, तब यह दोहरा दावा अस्वीकार्य है। साफ है, वह ईसाई धर्म अपनाने के बावजूद एक हिंदू के रूप में अपनी पहचान नहीं बनाए रख सकती हैं। संविधान के तीसरे अनुच्छेद, अनुसूचित जाति आदेश 1950 जिसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है, के अनुसार केवल हिंदू धर्म का पालन करने वालों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। इसी तारतम्य में पिछले पचास सालों से दलित ईसाई और दलित मुसलमान संघर्षरत रहते हुए हिंदू अनुसूचित जातियों को दिए जाने वाले अधिकारों की मांग करते चले आ रहे हैं। वर्तमान में मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई और बौद्ध ही अल्पसंख्यक दायरे में आते हैं। जबकि जैन, बहाई और कुछ दूसरे धर्म-समुदाय भी अल्पसंख्यक दर्जा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जैन समुदाय केन्द्र द्वारा अधिसूचित सूची में नहीं है। इसमें भाषाई अल्पसंख्यकों को अधिसूचित किया गया है, धार्मिक अल्पसंख्यकों को नहीं। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक माना गया है, परंतु इन्हें अधिसूचित करने का अधिकार राज्यों को है, केंद्र को नहीं। इन्हीं वजहों से आतंकवाद के चलते अपनी ही पुश्तैनी जमीन से बेदखल कश्मीरी पंडित अल्पसंख्यक के दायरे में नहीं आ पा रहे हैं। मध्यप्रदेश में दिग्विजय सिंह की कांग्रेस सरकार के दौरान जैन धर्मावलंबियों को भी अल्पसंख्यक दर्जा दिया था, लेकिन अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली सुविधाओं से ये आज भी वंचित हैं।

संविधान के अनुच्छेद-342 में धर्म परिवर्तन के संबंध में अनुच्छेद-341 जैसे प्रावधान में लोच है। 341 में स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति (एससी) के लोग धर्म परिवर्तन करेंगे तो उनका आरक्षण समाप्त हो जाएगा। इस कारण यह वर्ग धर्मांतरण से बचा हुआ है। जबकि 342 के अंतर्गत संविधान निर्माताओं ने जनजातियों के आदि मत और पुरखों की पारंपरिक सांस्कृतिक आस्था को बनाए रखने के लिए व्यवस्था की थी कि अनुसूचित जनजातियों को राज्यवार अधिसूचित किया जाएगा। यह आदेश राष्ट्रपति द्वारा राज्य की अनुशंसा पर दिया जाता है। इस आदेश के लागू होने पर उल्लेखित अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान सम्मत आरक्षण के अधिकार प्राप्त होते हैं। इस आदेश के लागू होने के उपरांत भी इसमें संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है। इसी परिप्रेक्ष्य में 1956 में एक संशोधन विधेयक द्वारा अनुसूचित जनजातियों में धर्मांतरण पर प्रतिबंध के लिए प्रावधान किया गया था कि यदि इस जाति का कोई व्यक्ति ईसाई या मुस्लिम धर्म स्वीकारता है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, किंतु यह विधेयक पारित नहीं हो पाया है। अनुच्छेद 341 के अनुसार अनुसूचित जातियों के वही लोग आरक्षण के दायरे में हैं, जो भारतीय धर्म हिन्दू, बौद्ध और सिख अपनाने वाले हैं। गोया, अनुच्छेद-342 में 341 जैसे प्रावधान हो जाते हैं, तो अनुसूचित जनजातियों में धर्मांतरण की समस्या पर स्वाभाविक रूप से अंकुश लग जाएगा। अनुसूचित जातियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि ईसाई या इस्लाम धर्मावलंबी बने अनुसूचित जाति के लोग केवल नौकरी के लिए फिर से धर्म परिवर्तन कर हिंदू नहीं बन सकते हैं। यह उपाय आरक्षण के मूल उद्देश्य के विरुद्ध होने के साथ संविधान के साथ धोखाधड़ी है। यह उपाय आरक्षण नीति के मौलिक समाजिक लक्ष्यों को कमजोर करता है। अतएव ऐसे उपाय हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान के उद्देश्य के तहत आरक्षण नीतियों की मूल भावना के विपरीत हैं।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

मंथन

ममता कुशवाहा

आराम की दौड़ में आखिर सुरक्षा से समझौता क्यों

नोएडा के एक बहुमंजिला अपार्टमेंट में हाल ही में एयर कंडीशनर (एसी) में हुए विस्फोट से लगी आग ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आधुनिक सुविधाएं यदि सावधानी के साथ न अपनाई जाएं तो वही जीवन के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग पर काबू पाने में दमकल विभाग को कई घंटे लग गए। इससे पहले भी देश के विभिन्न शहरों में एसी फटने या उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगने की अनेक घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इन हादसों ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल तकनीक पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसके सुरक्षित उपयोग और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था पर भी उतना ही ध्यान देना आवश्यक है। भीषण गर्मी के इस दौर में एयर कंडीशनर अब केवल विलासिता का साधन नहीं रह गया है। पहले जहां एसी केवल बड़े घरों, कार्यालयों या होटलों तक सीमित था, वहीं आज मध्यम वर्गीय परिवारों के घरों में भी यह आम जरूरत बन चुका है। लगातार बढ़ते तापमान और बदलती जीवनशैली ने एसी को रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बना दिया है। लेकिन सुविधा का यह साधन तभी तक उपयोगी है, जब तक उसका उपयोग जिम्मेदारी और सावधानी के साथ किया जाए। जैसे-जैसे एसी का उपयोग बढ़ा है, वैसे-वैसे उससे जुड़ी दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ी है।

यह स्थिति केवल व्यक्तिगत लापरवाही का परिणाम नहीं है, बल्कि इसमें तकनीकी खामियां, घटिया गुणवत्ता वाले उपकरण, अपर्याप्त रखरखाव और सुरक्षा मानकों की अनदेखी भी समान रूप से जिम्मेदार हैं। यदि समय-समय पर प्रशिक्षित तकनीशियन से एसी की जांच कराई जाए, गैस का स्तर देखा जाए और बिजली की वायरिंग की स्थिति पर ध्यान दिया जाए, तो अधिकांश हादसों को रोका जा सकता है। बढ़ती दुर्घटनाओं के पीछे एक और चिंता का विषय बाजार में उपलब्ध निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद हैं। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में कई कंपनियां कम कीमत पर उपकरण बेचने के लिए गुणवत्ता से समझौता कर लेती हैं। दूसरी ओर उपभोक्ता भी कम कीमत के लालच में बिना प्रमाणित उत्पाद खरीद लेते हैं। ऐसे उपकरणों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं होता और उनमें प्रयुक्त पुर्जे भी टिकाऊ नहीं होते। परिणामस्वरूप थोड़ी-सी तकनीकी खराबी भी बड़े हादसे का रूप ले सकती है। इसलिए उपभोक्ताओं को हमेशा प्रमाणित और भरोसेमंद कंपनियों के उत्पाद ही खरीदने चाहिए। यह समस्या केवल घरेलू स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरी विकास और भवन निर्माण व्यवस्था से भी जुड़ी हुई है। आज महानगरों में ऊंची-ऊंची इमारतें तेजी से बन रही हैं, लेकिन उनमें अग्नि सुरक्षा के मानकों का पालन हमेशा संतोषजनक नहीं होता। परिणामस्वरूप छोटी-सी आग भी भयावह रूप धारण कर लेती है। दमकल विभाग की चुनौतियां भी कम नहीं हैं। देश के अनेक शहरों में संसाधनों और आधुनिक उपकरणों का अभाव है। ऊंची इमारतों तक पहुंचने वाली हाइड्रोलिक सीढ़ियां और उच्च क्षमता वाले अग्निशमन उपकरण पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं। कई बार संकरी सड़कें, अवैध पार्किंग और अव्यवस्थित यातायात भी दमकल वाहनों के समय पर पहुंचने में बाधा बन जाते हैं। ऐसे में आग पर नियंत्रण पाने में देरी होती है और नुकसान कई गुना बढ़ जाता है। जलवायु परिवर्तन भी इस समस्या को और गंभीर बना रहा है।

हर वर्ष तापमान के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, जिससे एसी का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। बिजली की मांग बढ़ने से विद्युत व्यवस्था पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ता है। कई क्षेत्रों में पुरानी वायरिंग और ओवरलोड ट्रांसफार्मर दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ा देते हैं। इसलिए ऊर्जा अवसंरचना को भी समय के अनुरूप आधुनिक बनाना आवश्यक है, ताकि बढ़ती जरूरतों को सुरक्षित ढंग से पूरा किया जा सके। वास्तव में आधुनिक तकनीक का उद्देश्य जीवन को सरल और आरामदायक बनाना है, न कि उसे संकट में डालना। इसलिए सुविधा और सुरक्षा का संतुलन बनाए रखना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। नोएडा जैसी घटनाएं केवल समाचार नहीं हैं, बल्कि चेतावनी हैं कि यदि हम अभी भी नहीं चेते तो भविष्य में ऐसे हादसे और बढ़ सकते हैं। सरकार को सुरक्षा मानकों का कठोर पालन सुनिश्चित करना होगा, भवन निर्माताओं को अग्नि सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी, कंपनियों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराने होंगे और नागरिकों को जिम्मेदार उपभोक्ता बनना होगा। जब तकनीक के साथ सतर्कता, गुणवत्ता के साथ जिम्मेदारी और सुविधा के साथ सुरक्षा भी जुड़ जाएगी, तभी आधुनिक जीवन वास्तव में सुरक्षित, सुखद और विश्वासपूर्ण बन सकेगा।

(लेखिका शिक्षिका हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

मन को स्थिर रखना ही जीवन का सूत्र

काम, क्रोध, लोभ और मोह की स्वाभाविक वृत्तियों से घिरा हुआ मनुष्य जब अपनी असत दृष्टि से इनमें आनंद का अनुभव करने लगता है, तो उसे यह संसार खुशनुमा लगने लगता है। काम अर्थात इच्छा। जब भी किसी व्यक्ति के मन में उठी इच्छा की पूर्ति होती है, तो वह परम आनंद को प्राप्त होता है, पर वह यह भूल जाता है कि उसकी यह इच्छापूर्ति उसी तरह से उसके मन में एक और इच्छा जागृत करके उसके चित्त को अव्यवस्थित कर देगी, जिस तरह से जलती हुई अग्नि पूरी मात्र में घी पाने पर भी बुझती नहीं है, अपितु और वेग से जलने लगती है। इसी भांति से यदि अन्य किसी व्यक्ति के साथ विचार भिन्नता होती है तो वे दोनों ही पक्ष एक-दूसरे की हानि करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और अपने चित्त की सहज शांति खो बैठते हैं। इस स्थिति में जिसकी हानि होती है वह तो दुखी होता ही है, जो लाभ में रहता है वह भी हारे हुए पक्ष की ओर से आने वाली संभावित प्रतिक्रिया से हर दम चिंता में डूबा रहता है। और इस तरह से क्रोध भी व्यक्तियों को पीड़ित करने का कारण ही बनता है। वहीं लोभ और मोह की असीमित शक्ति का तो यह हाल है कि हम अपना पूरा का पूरा जीवन इसमें लगा देते हैं कि हमारे पास इतनी अथाह संपत्ति हो, जिसकी बराबरी धरती का कोई भी दूसरा व्यक्ति कभी न कर सके और हमारी अपनी संतान भी ऐसी हो, जिसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला न हो सके। रावण से लेकर कंस आदि के उदाहरण हमारे सामने हैं, जो अपने जीवन में अपनी ऐसी ही मानसिक विकृतियों से कभी भी पार नहीं पा सके।

संकलित

दर्शन

भक्ति का मतलब ये नहीं कि दुःख नहीं आएंगे

महाभारत युद्ध के बाद का किस्सा है। पांडवों ने कौरवों को हरा दिया था और युधिष्ठिर राजा बन गए थे। उस समय भीष्म पितामह बाणों की शय्या पर लेटे हुए थे और प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। भीष्म के पूरे शरीर पर तीर लगे हुए थे। एक दिन श्रीकृष्ण पांडवों के साथ भीष्म से मिलने पहंचे। श्रीकृष्ण ने भीष्म से कहा कि आप पांडवों को राजधर्म का ज्ञान दें, ताकि ये अपना राज-पाठ अच्छी तरह चला सके। बातचीत करते समय पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए थे। पांडवों को इस बात की हैरानी हुई कि भीष्म पितामह जैसे महारथी को भी मृत्यु का डर सता रहा है, इस वजह से इनकी आंखों में आंसु आ गए हैं। जबकि इन्हें तो इच्छामृत्यु का वरदान मिला हुआ है। पांडवों के मन की बात समझकर श्रीकृष्ण ने भीष्म पितामह से पूछा कि आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? श्रीकृष्ण का प्रश्न सुनकर भीष्म ने कहा कि आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं पांडवों को भी बता देता हूं। मेरी आंखों में आंसू पांडवों को देखकर आ गए। पांडवों पुत्रों के साथ स्वयं श्रीकृष्ण साथ हैं। फिर भी इनके जीवन में लगातार दुख आते रहे। कदम-कदम पर पांडवों के जीवन में मुश्किलें आईं। इन्हें देखकर मुझे समझ आया कि अगर हमारे भगवान हैं, तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे। दुख तो आएंगे, लेकिन भगवान की मदद से हम दुखों का सामना पूरे साहस के साथ कर पाते हैं। भक्ति करेंगे तो भगवान हमें दुखों से लड़ने का साहस देंगे।

संकलित

प्रेरणा

अंतर्मन

आज की पाती

साइबर सुरक्षा के लिए जनचेतना जरूरी

आज हमारे देश में साइबर फ्रॉड के मामले बहुत बढ़ गए हैं। इसके लिए जागरूकता अभियान बहुत जरूरी है। साइबर सुरक्षा के लिए इन बातों पर ध्यान रखना जरूरी है। एसएमएस या व्हाट्सएप पर आए किसी भी अनजान लिंक को न खोलें। किसी को भी ओटीपी या अपने इंटरनेट बैंकिंग की डिटेल न दें। केवाईसी के नाम पर भी साइबर फ्रॉड हो सकता है। इसके लिए बैंक से संपर्क करें। आजकल तो ई-चालान, बिजली बिल भरने के नाम पर धोखाधड़ी के मैसेज आ रहे हैं, इनसे भी सावधान रहें। अपने नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के पासवर्ड और पिन बदलते रहें। हालांकि सरकार ने साइबर धोखाधड़ी से बचने के अनेक उपाय किए हैं, लेकिन समूह समाज को भी सचेत रहना होगा।

– मनीषा अग्रवाल, हिसार

ट्रेंड

विजया मेहता को श्रद्धांजलि

दिग्गज अभिनेत्री और थिएटर डायरेक्टर विजया मेहता के निधन की खबर दिल तोड़ने वाली है। उन्हें मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। विजया ताई ने कई नाटकों और फिल्मों के जरिए अहम योगदान दिया।

- **नितिन गडकरी,** केंद्रीय राजमार्ग मंत्री

इजराइल दौरा

हम इजराइल के रणनीतिक दायरे में और गहरे धंसते जा रहे है, जबकि दुनिया उससे तेजी से दूर हो रही है। प्रधानमंत्री का इजराइल दौरा एक हैरान करने वाले रणनीतिक फैसले के तौर पर इतिहास में दर्ज होगा।

- **राहुल गांधी,** सांसद, कांग्रेस

नई ईवी पॉलिसी

दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी को आधिकारिक तौर पर गैजेट में नोटिफाई कर दिया गया है और यह अब लागू हो गई है। आज से, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने वालों को 30,000, थ्री-व्हीलर को 50,000 और एन1 कैटेगरी के हल्के कमर्शियल वाहनों के लिए 1 लाख की सब्सिडी मिलेगी।

-**रेखा गुप्ता,** सीएम, नई दिल्ली

विकास का अगला चरण

इस साल असम में बिजली की अधिकतम मांग के 3,000 एमडब्ल्यू से ज्यादा होने की उम्मीद है, इसलिए हम राज्य को बिजली के मामले में सरप्लस बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम असम को विकास के अगले चरण के लिए तैयार कर रहे हैं।

- **हिमंत बिस्वा सरमा,** सीएम, असम

करंट अफेयर

अमेरिकी डाक सेवा दिवाली पर जारी करेगी डाक टिकट

अमेरिकी डाक सेवा (यूएसपीएस) ने दिवाली के त्योहार पर आधारित एक डाक टिकट जारी करने की घोषणा की है। यह टिकट इस वर्ष के अंत में जारी किया जाएगा। दिवाली के इस डाक टिकट पर ह्यूस्टन की कलाकार संगीता भूटाडा द्वारा बनाई गई रंगोली की आकृति है जिसकी तस्वीर बिनय दीक्षित ने ली थी। यूएसपीएस ने कहा कि रंगोली फर्श पर की जाने वाली एक खूबसूरत कलाकारी है जिसे पारंपरिक रूप से चावल के रंगीन पाउडर, चॉक और फूलों की पंखुड़ियों जैसी सामग्री से बनाया जाता है तथा इसे शुभ माना जाता है। यूएसपीएस के अनुसार, भूटाडा मूल रूप से भारत की रहने वाली हैं और लंबे समय से ह्यूस्टन क्षेत्र में रह रही हैं। वह करीब 30 वर्षों से रंगोली की प्राचीन लोककला से जुड़ी हुई हैं। इस डाक टिकट को जेनिफर अर्नोल्ड ने डिजाइन किया है और विलियम जे. गिकर इसके कला निदेशक हैं। यूएसपीएस ने बताया कि दिवाली पर आधारित यह डाक टिकट अक्टूबर में जारी किया जाएगा। यूएसपीएस ने कहा, 'हिंदू पंचांग के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में शामिल दिवाली हर वर्ष शरद ऋतु में मनाई जाती है और यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दिवाली आमतौर पर पांच दिन तक मनाई जाती है। वर्ष 2026 में त्योहार का मुख्य दिन आठ नवंबर को होगा।'

ऑफ बीट

कैसे साफ किया जा सकता है अंतरिक्ष में मौजूद कचरा

सत्तर साल पहले पृथ्वी का सिर्फ एक ही प्राकृतिक उपग्रह था-चंद्रमा। आज पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उपग्रहों की संख्या 15,000 से अधिक हो चुकी है, जिनमें से लगभग 10,000 एलन मस्क की कंपनी 'स्पेसएक्स' के हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति मस्क की योजना 10 लाख और उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने की है। इनमें से प्रत्येक की लंबाई लगभग 70 मीटर और चौड़ाई करीब 20 मीटर होगी तथा ये मिलकर अंतरिक्ष में डेटा केंद्रों के रूप में काम करने वाला एक विशाल उपग्रह समूह बनाएंगे। अंतरिक्ष कचरे से आशय पृथ्वी की कक्षा में मौजूद उन सभी वस्तुओं से है, जिनका अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। इनमें इस्तेमाल हो चुके रॉकेट के हिस्से, निष्क्रिय या क्षतिग्रस्त उपग्रह तथा अति सूक्ष्म कण भी शामिल हैं। वर्तमान में पृथ्वी की कक्षा में 10 सेंटीमीटर से बड़े कचरे के करीब 36,000 टुकड़े हैं, जबकि इससे छोटे कणों की संख्या करोड़ों में है। अनुमान है कि इस पूरे मलबे का कुल वजन 13,486 टन है। इस मलबे में सबसे बड़ा योगदान अमेरिका, रूस और चीन का है। अंतरिक्ष मलबा इसलिए बेहद खतरनाक है क्योंकि यह लगभग सात किलोमीटर प्रति सैकंड की औसत गति से पृथ्वी की निचली कक्षा में घूम रहा होता है। इतनी तेज गति से होने वाली एक टक्कर किसी उपग्रह को पूरी तरह तोड़ सकती है तथा उससे और भी अधिक अंतरिक्ष मलबा पैदा हो सकता है।

भारत-जापान संयुक्त आर्थिक मंच में पीएम मोदी का ऐलान

देश में लगेंगे 1000 बायोगैस प्लांट, गांवों को मिलेगा बड़ा फायदा, किसानों की बढ़ेगी आय

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

पीएम मोदी ने कहा कि भारत-जापान मिलकर सेमीकंडक्टर, फार्मा, जरूरी मिनरल्स, शिपबिल्डिंग, मोबिलिटी, स्वच्छ ऊर्जा, स्टार्टअप, एआई, क्वांटम और बायोटेक के क्षेत्र में दुनिया के लिए अगली पीढ़ी के समाधान लाएं। एयरोस्पेस और रक्षा में अभूतपूर्व सहयोग के साथ हम वैश्विक सुरक्षा में अपना योगदान मजबूत करेंगे

पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जापानी की पीएम सनाए ताकाइची से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में जापानी पीएम का भव्य स्वागत किया गया। सैनिकों की टुकड़ी ने जापानी पीएम के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। औपचारिक स्वागत के दौरान सैनिकों के दल ने संगीत की प्रस्तुति भी दी। इसके बाद एक द्विपक्षीय बैठक के बाद दोनों पीएम ने भारत-जापान संयुक्त आर्थिक मंच में भाग लिया।

इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और जापान ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उन्होंने बताया कि भारत जापान बायो गैस इनीशिएटिव के तहत भारत में एक हजार बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट लगाए जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि इस पहल से गांवों में टिकाऊ विकास को बढ़ावा मिलेगा, किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण रोजगार के नए अवसर बनेंगे। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और जैविक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में यह पहल भारत के ग्रामीण विकास के लिए अहम साबित होगी।

भारत की विशाल क्षमता और जापान की गुणवत्ता साथ आए

पीएम मोदी और जापान की पीएम सनाए ताकाइची

भारत के साथ एक नए बदलाव का भी प्रस्ताव दिया जापान ने

जापान की पूंजी और भारत की महत्वाकांक्षा करे नेतृत्व

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं आपके सामने एक दृष्टिकोण रखना चाहता हूं। मैं एक ऐसी दुनिया देखता हूं, जहां जापान की तकनीकी और भारत की मार्केट क्षमता मिलकर सेमीकंडक्टर, फार्मा और जरूरी मिनरल्स के क्षेत्र में दुनिया को एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला दें। जहां जापान की पूंजी और भारत की महत्वाकांक्षा मिलकर शिपबिल्डिंग, मोबिलिटी और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नया वैश्विक नेतृत्व तैयार करें।

एक साल में 120 कारोबारी समझौते

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और जापान की निवेश साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के बीच करीब 120 नए बिजनेस एग्रीमेंट हुए हैं, जिनके जरिए भारत में 10 अरब डॉलर से अधिक का जापानी निवेश आएगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की विशाल क्षमता और जापान की गुणवत्ता को मिलाकर दुनिया को सस्ती, भरोसेमंद और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भी दोनों देश मिलकर काम करेंगे।

100 साल से अधिक पुराना नाता

पीएम मोदी ने कहा कि यहां कई कंपनियों के भारत के साथ लंबे समय से संबंध रहे हैं, कुछ संबंध तो 100 साल से भी अधिक समय से। मैं इंडिया-जापान की सफलता की कहानी का हिस्सा बनने के लिए इस मंच से जुड़ने वाले नए दोस्तों का दिल से स्वागत करता हूं।

सुजुकी खरखौदा प्लांट का किया उद्घाटन

पीएम नरेंद्र मोदी और जापान की पीएम सनाए ताकाइची ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी इंडिया के नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। गुरुग्राम, मानेसर और गुजरात के बाद खरखौदा में स्थित यह मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में मारुति सुजुकी की चौथी सबसे बड़ी फैक्ट्री है।

क्षेत्रीय मजबूती जरूरी

जापान की पीएम सनाए ताकाइची ने कहा कि आज दुनिया में संरक्षणवाद, आर्थिक दबाव जैसी नई चुनौतियां सामने हैं। ऐसे समय में क्षेत्र को अधिक स्वायत्त और मजबूत बनाना जरूरी है।

भारत-जापान के संबंध लगातार मजबूत हुए

दोनों देशों ने व्यापार और निवेश को अगले स्तर पर ले जाने के लिए जताई प्रतिबद्धता

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत-जापान साझेदारी का अहम आधार है और इसी के जरिए दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। 'द इंडो-जापान स्ट्रैटेजिक डायलॉग' में उन्होंने कहा कि भारत-जापान की साझेदारी का प्रमुख केंद्र निवेश रहा है और दोनों देश इसे अगले स्तर तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

- भारत जापान को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद निर्यात कर रहा

गोयल ने कहा कि मारुति सुजुकी लगभग 40 साल पहले भारत आई और आधुनिक, किफायती तथा टेक्नोलॉजी आधारित गाड़ियां लेकर आई, जिसने भारत को ऑटोमोबाइल क्षेत्र में वैश्विक ताकत बनने की राह पर आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि मई महीने में भारत में बिकी 4 लाख पैसेंजर गाड़ियों में से 1.47 लाख मारुति सुजुकी की थीं।

बुनियादी ढांचे में जापान का बड़ा योगदान

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत का पहला डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ओडिशा में जापान की साझेदारी से बनाया गया, जिससे लौह अयस्क के परिवहन को गति मिली। भारत-जापान व्यापार केवल आयात-निर्यात तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच तकनीक और निवेश का मजबूत रिश्ता भी विकसित हुआ है। हम कच्चा माल या इंटरमीडिएट उत्पाद नहीं बेच रहे हैं।

जापान में भारतीयों के लिए बढ़ेंगे अवसर

पीयूष गोयल ने कहा कि जापान में विशेष रूप से हेल्थकेयर क्षेत्र में भारतीय पेशेवरों के लिए बड़े अवसर मौजूद हैं। जापान की बढ़ती उम्र वाली आबादी के कारण प्रशिक्षित केयरगिवर्स की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके लिए जापानी भाषा और संस्कृति की जानकारी आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति के पास भाषा कौशल के साथ जापानी संस्कृति की समझ भी हो, तो उसके लिए जापान में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग०

रा०प्र०क्र०-/अ-6/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका सीमा सोनी पति विकास कुमार सोनी, उम्र 40 वर्ष, जाति सोनार निवासी वार्ड नं. 03 भैयाथान रोड मंदिर पारा, सूरजपुर जिला सूरजपुर (छ०ग०) के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि आवेदिका के द्वारा अनावेदिका श्रीमती रश्मि स्वर्णकार पत्नि रंजय स्वर्णकार, जाति सोनार के स्वामित्व व अधिपत्य की नगर अ०पुर, शीट नं. 03 मोहल्ला देवीगंज रोड़ स्थित नजूल भूमि प्लॉट नंबर 1166/9 रकबा 0.01 3/4 एकड़ भूमि को पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 01.06.2026 के माध्यम से क्रय किया गया है। अतः उक्त पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर आवेदिका द्वारा आवेदित भूखण्ड का नामांतरण स्वयं के नाम से किये जाने हेतु पंजीबद्ध विक्रय पत्र की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त सबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-10/07/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक- 25/06/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया

नजूल अधिकारी

नाम परिवर्तन के संबंध में

नाबालिक पुत्री /पुत्र के नाम परिवर्तन के मामले में (अभिभावक पालक द्वारा प्रमाणित)

मैं संतोष राम सुपुत्र जगबंधन राम गांव नवाडीह तहसील बलरामपुर जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने नाबालिक सुपुत्री का नाम

मार्टिन सिंह से बदलकर मार्टिना सिंह नया नाम रख लिया है

संतोष राम

पिता पालक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) रामानुजगंज जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ०ग०)

क्रमांक / 1653 / अ०वि०अ० / 2026

रामानुजगंज दिनांक/06/06/2026

ईश्तहार

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विषयान्तर्गत लेख है कि आवेदक सुरजकान्त यादव पिता चन्द्रिका यादव निवासी ग्राम इन्द्रपुर, थाना-रामानुजगंज, तहसील-रामानुजगंज, जिला बलरामपुर-रा०गंज (छ०ग०) के द्वारा समक्ष में उपस्थित होकर आवेदन पेश कर लेख किया गया है कि मेरा आधार कार्ड नं0 7325 6035 1750 बना है जिसमें नाम में सुरज कुमार यादव पिता चन्द्रिका यादव अंकित है जो त्रुटिपूर्ण नाम दर्ज हो गया है, जबकि मेरा शैक्षणिक दस्तावेज, में वास्तविक नाम सुरजकान्त यादव पिता चन्द्रिका यादव है। उक्त आधार का में हुई त्रुटि को सुधार करते हुए वास्तविक एवं सही नाम सुरजकान्त यादव किये जाने हेतु आवेदन सह दस्तावेज प्रस्तुत किया है। उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा/आपत्ति हो तो अगामी पेशी दिनांक 07/07/2026 को समय 11.00 बजे स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिनांक के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 16/06/2026 को न्यायालय के पदमुद्रा द्वारा जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा०)

रामानुजगंज जिला बलरामपुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ०ग०)

रा०प्र०क्र०-/अ-6/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अभिषेक गर्ग पिता प्रेमचंद अग्रवाल निवासी सेठ बसंतलाल मार्ग अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा ग्राम अम्बिकापुर स्थित भूमि खसरा नंबर 2802/15 रकबा 0.105 हे0 मेसे रकबा 0.080 हे० भूमि के राजस्व अभिलेखो में पंजीबद्ध दान पत्र दिनांक 11.03.2025 के माध्यम से नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पेश किया गया है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 06/07/2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांकः- 19/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

तहसीलदार

अम्बिकापुर

कांग्रेस नेता अवधेश सिंह ने मुख्यमंत्री को भेजा पत्र

संवाददाता

बस्ती। भानपुर तहसील के दसिया ग्राम में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर विवाद अब गहराता जा रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अवधेश सिंह ने क्षेत्र के हजारों किसानों और ग्रामीणों की चिंताओं को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक शिकायती पत्र भेजा है। पत्र में उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि यदि इस जन विरोधी परियोजना को तुरंत नहीं रोका गया तो क्षेत्र की जनता को साथ लेकर बड़ा और उग्र आंदोलन खड़ा किया जाएगा। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में कांग्रेस प्रवक्ता ने क्षेत्र की भौगोलिक और पर्यावरणीय स्थिति का हवाला देते हुए कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि भानपुर औररुधौली क्षेत्र में एथेनॉल प्लांट लगने से भारी मात्रा में पानी का दोहन होगा, जिससे पहले से घट रहा भूजल स्तर पूरी तरह तबाह हो जाएगा। इससे किसानों की खेती और आम जनता के पीने के पानी की गंभीर समस्या खड़ी हो जाएगी। पत्र में यह भी बताया गया कि प्रस्तावित प्लांट से महज दो सौ मीटर की दूरी पर दो सरकारी स्कूल स्थित हैं।

केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने तेजपाल सिंह सहरावत के निवास पर पहुंचकर दी जन्मदिन की शुभकामनाएं

संवाददाता

सोनीपत। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री राम दास आठवले ने समाजसेवी एवं वरिष्ठ भाजपा नेता तेजपाल सिंह सहरावत के निवास पर पहुंचकर उनके छोटे पुत्र अतुल सहरावत के जन्मदिन समारोह में भाग लिया। मंत्री जी ने केक काटकर अतुल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं तथा उनके उज्ज्वल भविष्य और दीघार्यु की कामना की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाजसेवियों, गणमान्य नागरिकों एवं पत्रकारों ने केंद्रीय मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। अपने संबोधन में मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि ह्लतेजपाल सिंह सहरावत हमारे छोटे भाई के समान हैं। उनके विशेष आग्रह पर आज मैं उनके निवास पर आया हूं। मुझे यहां आकर अत्यंत प्रसन्नता हुई ह्व उन्होंने हरियाणा सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार गरीबों, दलितों, किसानों और महिलाओं के कल्याण के लिए प्रभावी कार्य कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे जनता के हित में निरंतर बेहतर कार्य कर रहे हैं। मंत्री अठावले ने पत्रकारों की भूमिका की भी सराहना करते हुए कहा कि ह्लबारिश हो या तेज धूप पत्रकार पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना दायित्व निभाते हैं। समाज तक सच्चाई पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं सभी पत्रकारों तथा मेरा सम्मान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का हृदय से धन्यवाद करता हूं ह्व कार्यक्रम में तेजपाल सिंह सहरावत ने केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके घर पधारकर मंत्री जी ने पूरे परिवार का सम्मान बढ़ाया है।

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 जनवरी 2026

प्रारूप (एक)

समाचार प्रपत्र में प्रकाशित की जाने वाली सूचना

मैं एवहन कुजूर पुराना नाम, जिसे बदला जाना है) सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी असम साय गाँव / शहर करियाखार पेटला, तहसील-सीतापुर, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ ने अपना नाम- एवहन कुजूर (पुराना नाम) से बदल कर योहन कुजूर (नया नाम) रख लिया है। मैं असम साय (माता/पिता/पालक का नाम) सुपुत्र/सुपुत्री फगु गाँव/शहर गाँव / शहर करियाखार पेटला, तहसील-सीतापुर, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने नाबालिग सुपुत्र/सुपुत्री का नाम एवहन कुजूर (पुराना नाम) से बदल कर योहन कुजूर (नया नाम) रख लिया है।

नाबालिक पुत्री/पुत्र के नाम परिवर्तन के मामले में (अभिभावक/पालक द्वारा प्रमाणित)

मैं राजेंद्र सिंह सुपुत्र रतु सिंह गांव बलरामपुर तहसील बलरामपुर जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने नाबालिक सुपुत्री का नाम खुशबू सिंह से बदल कर

संध्या रूपाली सिंह रख लिया है

राजेंद्र सिंह

पिता

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिलानाम परिवर्तन के संबंध में

रा०प्र०क्र०/अ-20(3)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदक मो० जिलानी आ० स्व० लतीफ व अन्य 05. निवासी रसूलपुर, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा द्वारा अपने स्वामित्व की शीट नम्बर-08 मोहल्ला सदर रोड़, नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल भूखण्ड कमांक 2930/1 रकबा 3147 वर्गफीट एवं नजूल भूखण्ड कमांक 2932/1 रकबा 1835.3 वर्गफीट भूमि में से 17 X55 वर्गफीट भूमि में निर्मित दुकान को अनावेदक/केता गौरीशंकर अग्रवाल आ० जयलाल अग्रवाल, निवासी सदर रोड, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छ०ग० के पास बिकय करने की अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मेन्टनेन्स खसरा, शपथ पत्र की छायाप्रति सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त भू-खण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा-आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 13.07.2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा। आज दिनांक 24.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी

अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा

रा०प्र०क्र०-/20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका अंशु कुमार साहू आ०/पति राजेन्द्र प्रसाद साहू व 01 अन्य जाति, निवासी मणीपुर, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-अस्पताल रोड, शीट नम्बर-10 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 4212/3, 4213/3, 4217/8 रकबा 0.00 3/4, 0.00 3/4, 0.01 3/4 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.03.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधिः बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-13/07/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः- 22/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी

अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा

रा०प्र०क्र०-/20(1)/2025--26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका राजेन्द्र प्रसाद साहू आ०/पति स्व० बेनी माधव साव जाति निवासी मणीपुर, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-अस्पताल रोड, शीट नम्बर-10 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 4203/6, 4212/2, 4213/2, 4217/7 रकबा 0.08, 0.00 3/4, 0.00 3/4, 0.01 3/4 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.03.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 13/07/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः- 22/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी

अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा

रा०प्र०क्र०-/20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका अंशु कुमार साहू आ०/पति राजेन्द्र प्रसाद साहू व 01 अन्य जाति, निवासी मणीपुर, अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-मणीपुर, शीट नम्बर-10 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 4140/2 रकबा 0.04 1/2 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.03.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-13/07/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः- 22/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी

अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा

रा०प्र०क्र०-/20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका श्रीमती गौरी देवी आ०/पति राजेन्द्र प्रसाद साहू जाति, निवासी मणीपुर, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-अस्पताल रोड, शीट नम्बर-10 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 4216/3 रकबा 0.02 1/4 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.03.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-13/07/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः- 22/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी

अम्बिकापुर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-02 जिला-सरगुजा (छ०ग०)

रा०प्र०क्र०/अ-6/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है आवेदक ध्रुव कुमार सिंह आ० स्व० महातम सिंह, जाति क्षत्रिय, निवासी रामानुजगंज रोड अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा ग्राम देवगढ़ स्थित भूमि खसरा नंबर 559/1, 560, 561, 562 कुल खसरा 04, कुल रकबा 0.414 हे0 के राजस्व अभिलेखों में पंजीबद्ध हक त्याग विलेख दिनांक 16/04/2026 के आधार पर अनावेदकगण / हकत्यागकर्ता डॉ० महेन्द्र कुमार सिंह आ० स्व० महातम सिंह, व अन्य 02, निवासी रामानुजगंज रोड अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ०ग०) का नाम विलोपित कराने हेतु छ०ग० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त. संबंध में किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 27/07/2026 से पूर्व न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 03/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पद पदमुद्रा से जारी

अतिरिक्त तहसीलदार

अम्बिकापुर-02

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ०ग०)

रा०प्र०क्र०-/ब-121/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अशोक मण्डल आ०जितेन मण्डल निवासी ग्राम सुभाषनगर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग0 के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम सुभाषनगर स्थित भूमि खसरा नंबर 234/2 रकबा 0.285 हे० मेसे रकबा 5 डिसमिल भूमि को अनावेदक रोहित राज सिंह आ० अंगददेव सिंह निवासी ग्राम सरनाडीह जिला बलरामपुर रामानुजगंज छ०ग0 के पास निजी कार्य हेतु रूपयो की आवश्यकता होने के कारण अंकन राशि 4,00,000/- मे सौदा तय कर बिक्री अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय सरगुंजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो जांच एवं प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 15/07/2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः 19/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

तहसीलदार

अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग०

रा०प्र०क्र०-/अ-6/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका सीमा सोनी पति विकास कुमार सोनी, उम्र-40 वर्ष, जाति सोनार निवासी वार्ड नं. 03 भैयाथान रोड़ मंदिर पारा, सूरजपुर जिला सूरजपुर (छ०ग०) के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है. कि आवेदिका के द्वारा अनावेदक रंजय स्वर्णकार पिता स्व. रामचन्द्र स्वर्णकार, जाति सोनार के स्वामित्व व अधिपत्य की नगर अ०पुर, शीट नं. 03 मोहल्ला देवीगंज रोड़ स्थित नजूल भूमि प्लॉट नंबर 1166/5; 1166/10 रकबा क्रमशः 0.01, 0.01 एकड़ भूमि को पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 29.05. 2026 के माध्यम से क्रय किया गया है। अतः उक्त पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर आवेदिका द्वारा आवेदित भूखण्ड का नामांतरण स्वयं के नाम से किये जाने हेतु पंजीबद्ध विक्रय पत्र की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त सबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-10/07/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक-25/06/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया

नजूल अधिकारी

अम्बिकापुर

कलेक्टर ने दुलदुला सहकारी समिति का किया निरीक्षण

यूरिया की 80% सीमा खत्म, अब पिछले साल जितना मिलेगा उर्वरक

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। खरीफ सीजन के मद्देनजर कलेक्टर रोहित व्यास ने विगत दिवस दुलदुला स्थित आदिम जाति सेवा सहकारी समिति का निरीक्षण कर खाद-बीज की उपलब्धता, कृषि ऋण वितरण तथा किसानों को दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने किसानों से सीधे संवाद कर खेती-किसानी की तैयारियों की जानकारी ली तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यूरिया वितरण व्यवस्था में किए गए महत्वपूर्ण बदलाव से अवगत कराया।

यूरिया वितरण में किसानों को मिली बड़ी राहत

कलेक्टर रोहित व्यास ने किसानों को बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूर्व में लागू वह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, जिसके तहत किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग के उद्देश्य से सीमित मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराया जाता था। अब नई व्यवस्था के अनुसार किसानों को खरीफ 2025 में प्राप्त यूरिया की मात्रा के बराबर खरीफ 2026 में भी यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा।उन्होंने कहा कि यदि किसी समय सहकारी समिति में यूरिया का स्टॉक कम होने के कारण कोई किसान अपनी पात्रता के अनुसार पूरी मात्रा प्राप्त नहीं कर पाता है, तो समिति में स्टॉक उपलब्ध होते ही शेष मात्रा भी उसे प्रदान की जाएगी। इससे किसानों को खेती के दौरान उर्वरक की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा और समय पर पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध हो सकेगा।

समिति की व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने समिति में पंजीकृत किसानों की संख्या, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से वितरित कृषि ऋण, खाद-बीज की उपलब्धता तथा वर्तमान स्टॉक की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीफ सीजन के दौरान किसानों को खाद, बीज एवं कृषि ऋण समय पर उपलब्ध कराया जाए, ताकि कृषि कार्य प्रभावित न हो।

किसानों से की सीधी चर्चा

कलेक्टर ने समिति में खाद एवं बीज लेने पहुंचे ग्राम खोरना के किसान कृष्ण कुमार साय सहित अन्य किसानों से बातचीत कर खेती की तैयारियों, उर्वरकों की उपलब्धता तथा केसीसी के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने किसानों की समस्याएं भी सुनीं और अधिकारियों को उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

नैनो यूरिया और नैनो डीएपी अपनाने की अपील

कलेक्टर रोहित व्यास ने किसानों को नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी के उपयोग के लाभ बताते हुए कहा कि इनके प्रयोग से फसलों को आवश्यक पोषक तत्व प्रभावी ढंग से प्राप्त होते हैं, लागत में कमी आती है तथा भूमि की उर्वरा शक्ति भी सुरक्षित रहती है।

दुलदुला-बंदरचुवा में आधुनिक बस स्टैंड निर्माण कार्य का कलेक्टर ने किया निरीक्षण

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। जिले में यात्रियों को बेहतर आवागमन सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में दुलदुला एवं बंदरचुवा में आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। कलेक्टर रोहित व्यास ने गुरुवार को दोनों निमार्णाधीन बस स्टैंडों का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों और निर्माण एजेंसी को गुणवत्ता बनाए रखते हुए निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने बस स्टैंड परिसर में बन रही दुकानों, शौचालय, यात्री सुविधाओं एवं अन्य निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप किए जाएं, ताकि आम नागरिकों को लंबे समय तक बेहतर सुविधाएं मिल सकें। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बस स्टैंड में यात्रियों के लिए पर्याप्त बैठक व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय, सुरक्षित एवं व्यवस्थित परिसर तथा आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड केवल वाहनों के ठहराव का स्थान नहीं, बल्कि यात्रियों के लिए सुविधाजनक और स्वच्छ सार्वजनिक परिसर के रूप में विकसित किया जाए।

आकाशीय बिजली से बचने के लिए जिला प्रशासन की अपील

खुले में न रहें, प्रभावित को तुरंत 108 पर पहुंचाएं अस्पताल

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। वर्षा ऋतु के दौरान आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में संभावित वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग ने जिलेवासियों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। नागरिकों से कहा गया है कि मौसम खराब होने, तेज गरज-चमक या बिजली कड़कने की स्थिति में लापरवाही न करें और तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर शरण लें। गरज-चमक के दौरान खुले मैदान, खेत, पहाड़ी क्षेत्र, नदी-तालाब एवं अन्य जलाशयों के आसपास जाने से बचें। साथ ही पेड़ों के नीचे खड़े न हों, क्योंकि आकाशीय बिजली गिरने का खतरा अधिक रहता है। ऐसी स्थिति में किसी पक्के भवन या पूरी तरह बंद वाहन में शरण लेना सुरक्षित उपाय है। मौसम विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी चेतावनियों का पालन करें तथा अत्यंत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। यदि कोई व्यक्ति खुले स्थान पर फँस जाए और तत्काल सुरक्षित स्थान तक पहुँचना संभव न हो, तो दोनों पैरों को आपस में मिलाकर नीचे झुक जाएँ, सिर नीचे रखें तथा हाथ घुटनों पर रखें। इस दौरान जमीन पर पूरी तरह न लेटें और अन्य लोगों से उचित दूरी बनाए रखें, ताकि संभावित खतरे को कम किया जा सके।

आकाशीय बिजली से प्रभावित व्यक्ति तुरंत लें चिकित्सकीय सहायता

स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि आकाशीय बिजली से प्रभावित व्यक्ति को छूना पूरी तरह सुरक्षित होता है। ऐसी स्थिति में बिना समय गंवाए 108 एम्बुलेंस सेवा को सूचना दें अथवा प्रभावित व्यक्ति को निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाएं। यदि व्यक्ति की सांस या नाड़ी नहीं चल रही हो, तो प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा तुरंत सीपीआर शुरू करें और गंभीर स्थिति में शीघ्र अस्पताल पहुँचाने की व्यवस्था की जाए।

सहकारिता पखवाड़ा में किसानों को मिले केसीसी-माइक्रो एटीएम, मॉडल पैक्स का निरीक्षण

4 जुलाई को कुनकुरी में लगेगा नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार की स्थापना के पांच वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार एवं राज्य शासन के निदेर्शानुसार जिले में 29 जून से 6 जुलाई तक सहकारी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर जिले की सहकारी समितियों एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के माध्यम से विभिन्न जनहितकारी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन गतिविधियों का उद्देश्य सहकारिता के सिद्धांतों को जन-जन तक पहुंचाना, किसानों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ना तथा सहकारी संस्थाओं को और अधिक सशक्त बनाना है।

सहकारी सप्ताह के अंतर्गत 2 जुलाई को पैक्स कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में किसानों एवं समिति सदस्यों को माइक्रो एटीएम, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) तथा रूपे केसीसी कार्ड वितरित किए गए। इस पहल से किसानों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं का लाभ और अधिक सुगमता से मिल सकेगा तथा डिजिटल लेन-देन को भी बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान किसानों एवं जनप्रतिनिधियों को मॉडल पैक्स का भ्रमण कराया गया। इस दौरान उन्हें सहकारी समितियों की आधुनिक कार्यप्रणाली, डिजिटल सेवाओं, कृषि ऋण वितरण, उर्वरक एवं बीज उपलब्धता सहित विभिन्न सहकारी गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी गई। इससे किसानों को सहकारिता से जुड़ी नवीन व्यवस्थाओं और सुविधाओं को समझने का अवसर मिला।

3 जुलाई को जिले की विभिन्न सहकारी समितियों में वृक्षारोपण एवं स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा स्वच्छ वातावरण बनाए रखने का संदेश दिया गया।

जगन्नाथ रथयात्रा की तैयारियों के बीच कलेक्टर पहुचे दोकड़ा, दिए सुरक्षा-स्वच्छता-पार्किंग के निर्देश

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। भगवान श्री जगन्नाथ रथयात्रा महोत्सव को सुव्यवस्थित एवं भव्य रूप से आयोजित करने के उद्देश्य से कलेक्टर रोहित व्यास ने कांसाबेल विकासखंड के ग्राम दोकड़ा पहुंचकर भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर एवं रथयात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने मंदिर परिसर, आसपास की व्यवस्थाओं तथा रथयात्रा की तैयारियों का विस्तृत जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को समय रहते सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण करने के निर्देश दिए। रथयात्रा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के शामिल होने की संभावना को देखते हुए कलेक्टर ने आयोजन से जुड़ी प्रत्येक व्यवस्था को गंभीरता से परखा। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं सुचारू आवागमन सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बगीचा प्रदीप राठिया, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मंदिर समिति के सदस्यगण ठाकुर पुरुषोत्तम सिंह, बलराम भगत, टंकेश्वर यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन मौजूद रहे।

मंदिर परिसर में स्वच्छता और सौंदर्यीकरण पर विशेष जोर

कलेक्टर व्यास ने भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर एवं आसपास साफ-सफाई की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए परिसर को पूरी तरह स्वच्छ एवं आकर्षक बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने मंदिर परिसर में लगाए जा रहे पेवर ब्लॉक कार्य का अवलोकन कर निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए इसे रथयात्रा से पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मंदिर से बाजार चौक तक प्रस्तावित रथयात्रा मार्ग का पैदल भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

'अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ': डॉ. आशा लकड़ा, लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। कलेक्टर रोहित व्यास और एएसपी राकेश पाटनवार समेत सभी विभाग प्रमुख मौजूद रहे। डॉ. लकड़ा ने जनजातीय अधिकारों की सुरक्षा और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया।

'डॉ. लकड़ा ने बताया कि संविधान के तहत आयोग को दीवानी न्यायालय के समान अधिकार प्राप्त हैं। आयोग समन जारी कर सकता है, अभिलेख तलब कर सकता है और अधिकारियों को तलब कर सकता है। सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, शिक्षक की कमी या जातिसूचक टिप्पणी, अत्याचार के मामलों में आयोग सुनवाई कर कार्रवाई सुनिश्चित करता है। आयोग की अनुशंसाएं संसद में रखी जाती हैं।

उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशीलता, तत्परता एवं प्रतिबद्धता से काम करने के निर्देश दिए। कहा कि ₹शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, तभी जनजातीय समुदाय के जीवन स्तर में वास्तविक सुधार होगा₹। जिन क्षेत्रों में प्रगति अपेक्षित नहीं है, वहां विशेष प्रयास कर गति लाने को कहा।

शिक्षा विभाग की समीक्षा में खेलकूद, वाद-विवाद, सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के नियमित आयोजन पर जोर दिया। सभी बालिका छात्रावासों में सीसीटीवी अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि जिले में 400 स्मार्ट क्लास संचालित हैं।

जनप्रतिनिधियों से सीधे संवाद कर कलेक्टर ने सुनी क्षेत्र की समस्याएं

जनहित से जुड़े विभिन्न मांगों पर दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। कलेक्टर रोहित व्यास ने दुलदुला जनपद पंचायत कार्यालय में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर क्षेत्र की समस्याओं, विकास कार्यों एवं जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में उन्होंने जनप्रतिनिधियों से सुझाव आमंत्रित करते हुए कहा कि विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करने में जनप्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। जिला प्रशासन आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है तथा प्राप्त सुझावों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने दुलदुला विकासखंड के विभिन्न गांवों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं से कलेक्टर को अवगत कराया। कलेक्टर ने प्रत्येक मांग एवं सुझाव को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान बैठक में जनपद पंचायत दुलदुला के अध्यक्ष राजकुमार सिंह, सरपंच मनोज भगत, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग संजय सिंह, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुनकुरी नंदजी पांडे, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

15 नए पीडीएस भवनों की मिली स्वीकृति

बैठक के दौरान दुलदुला क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों के भवनों की आवश्यकता बताई। इस पर कलेक्टर रोहित व्यास ने जानकारी दी कि दुलदुला क्षेत्र के लिए 15 नए पीडीएस भवन स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनके निर्माण से हितग्राहियों को शासकीय राशन लेने में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

नाली निर्माण और पेयजल समस्या के समाधान के निर्देश

दुलदुला ग्राम पंचायत में नाली निर्माण की आवश्यकता बताए जाने पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। वहीं चराईडांड, पंडरीआंबा एवं पतराटोली के कुछ हिस्सों में पेयजल संकट की जानकारी मिलने पर उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को मौके पर निरीक्षण कर आवश्यक समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में नोनियातला आईटीआई कॉलेज के समीप सड़क निर्माण की मांग भी रखी गई। इस पर कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक कार्ययोजना तैयार कर प्रस्ताव उच्च स्तर पर भेजने के निर्देश दिए। जनप्रतिनिधियों ने कुछ स्थानों पर जल जीवन मिशन के कार्य बंद होने की जानकारी भी दी। इस पर कलेक्टर ने पीएचई विभाग के अधिकारियों को तत्काल स्थल निरीक्षण कर कार्य पुनः प्रारंभ कराने और समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

चराईडांड शिव मंदिर के जीर्णोद्धार को मिलेगी नई पहचान

चराईडांड स्थित प्राचीन शिव मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग पर कलेक्टर ने बताया कि राज्य शासन से इसके लिए 15 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मंदिर का जीर्णोद्धार भव्य एवं व्यवस्थित रूप से कराया जाएगा।

आंगनबाड़ी, सामुदायिक भवन और मुक्तिधाम के प्रस्ताव तैयार होंगे

बैठक में खूंटीटोली में आंगनबाड़ी केंद्र भवन, सामुदायिक भवन एवं मुक्तिधाम निर्माण की मांग रखी गई। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को इन कार्यों के लिए आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। वहीं मांझीटोली में सीसी रोड निर्माण की मांग पर भी आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर व्यास ने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई सभी समस्याओं पर प्राथमिकता से कार्रवाई की जाएगी। जो कार्य जिला स्तर पर संभव होंगे, उनका शीघ्र निराकरण किया जाएगा, जबकि बड़े एवं उच्चस्तरीय कार्यों के प्रस्ताव शासन को भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना शासन और प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

बच्चों को स्कूल और छात्रावास भेजने की अपील

बैठक में कलेक्टर ने जनप्रतिनिधियों से नए शैक्षणिक सत्र को देखते हुए अधिक से अधिक बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय एवं छात्रावास भेजने के लिए अभिभावकों को प्रेरित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे की नियमित शिक्षा सुनिश्चित करना समाज और प्रशासन की साझा जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता से गंभीर बीमार मासूम के इलाज के लिए मिला 95,500 रुपये की स्वीकृत, कैंप कार्यालय में आवेदन पर 24 घंटे में कार्रवाई

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की संवेदनशील पहल से गंभीर श्वसन रोग से पीड़ित मासूम रेणुका खलखो, जिला सरगुजा के उपचार का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया में परिजनों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निदेर्शों के अनुरूप मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत रेणुका खलखो के उपचार के लिए 95,500 रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अनुशंसा पर राज्य नोडल एजेंसी द्वारा जारी स्वीकृति आदेश के अनुसार यह राशि झारखंड के रांची स्थित रानी हॉस्पिटल में श्वसन संबंधी गंभीर बीमारी के उपचार हेतु प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत मिली इस त्वरित स्वीकृति से आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को बड़ी राहत मिली है। समय पर मिली इस सहायता से अब मासूम का बेहतर उपचार संभव हो सकेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जनहितैषी एवं संवेदनशील पहल पर गंभीर बीमारियों से जूझ रहे

महेशपुर में वन भूमि पर अतिक्रमण कर बनाये गए 23 मकान किये गए जमींदोज

अतिक्रमण पर ग्रामसभा ने जताई थी चिंता,कार्रवाई की मांग

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले के ग्राम पंचायत महेशपुर स्थित वन विकास निगम की भूमि पर वर्षों से चले आ रहे अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए 23 मकानों को ध्वस्त कर दिया। राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन और वन विकास निगम की संयुक्त टीम द्वारा की गई इस कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था।जानकारी के अनुसार महेशपुर जंगल क्षेत्र में अन्य जिलों से आकर कुछ लोगों द्वारा वन विकास निगम की भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान एवं अस्थायी निर्माण कर लिए गए थे। धीरे-धीरे यह कब्जा बढ़ता गया और वन भूमि पर स्थायी बसाहट का स्वरूप लेने लगा। मामले को लेकर स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने कई बार प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया था। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत महेशपुर के ग्रामवासियों ने ग्राम सभा की बैठक में वन भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर चिंता जताई थी और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर जिला प्रशासन से अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। ग्रामीणों का कहना था कि वन भूमि पर लगातार हो रहे कब्जे से क्षेत्र का प्राकृतिक स्वरूप प्रभावित हो रहा था और भविष्य में यह स्थिति और गंभीर हो सकती थी।

महेशपुर जंगल क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की यह पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पूर्व भी जिला प्रशासन द्वारा सड़क किनारे और वन क्षेत्र में किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए दो बार बुलडोजर चलाया जा चुका है। प्रशासन की कार्रवाई के बाद कुछ समय तक स्थिति सामान्य रही, लेकिन बाद में फिर से कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया।संभावित विरोध और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा सीमांकन और चिन्हांकन की प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माणों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान वन विकास निगम और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम लगातार मौके पर मौजूद रही।।इस संयुक्त कार्रवाई के दौरान वन विकास निगम की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए कुल 23 मकानों और अन्य निर्माणों को जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के उद्देश्य से की गई है और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय, राजस्व और वन भूमि पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर लगातार कार्रवाई की जाएगी ताकि सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके।

10 बजे तक नहीं खुला प्रा. स्कूल का ताला, बाहर इंतजार करते रहे मासूम, शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिहारपुर। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के सरकारी दावों के बीच ग्राम पंचायत मोहरसोप के आश्रित पटेलपारा प्राथमिक शाला में शुक्रवार को लापरवाही का मामला सामने आया। सुबह लगभग 10 बजे तक विद्यालय का ताला नहीं खुला, जबकि बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं समय पर स्कूल पहुंच चुके थे। विद्यालय बंद होने के कारण मासूम बच्चे स्कूल परिसर के बाहर ही बैठकर और खड़े होकर इंतजार करते रहे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, निर्धारित समय बीत जाने के बावजूद विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लटका हुआ था। बच्चे स्कूल बैग लेकर पढ़ाई की उम्मीद में पहुंचे थे, लेकिन उन्हें बाहर ही इंतजार करना पड़ा। काफी देर तक न तो कोई शिक्षक विद्यालय पहुंचा और न ही किसी जिम्मेदार कर्मचारी की मौजूदगी दिखाई दी। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई और अभिभावकों में भी नाराजगी देखने को मिली।

ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी स्कूलों में समय पर शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसी लापरवाही सामने आना गंभीर चिंता का विषय है। उनका कहना है कि यदि शिक्षक समय पर विद्यालय नहीं पहुंचेंगे तो बच्चों की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ेगा और शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। ग्रामीणों और अभिभावकों ने शिक्षा विभाग से मामले की जांच कराने तथा दोषी पाए जाने पर संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की है कि सभी शासकीय विद्यालयों में नियमित निगरानी की जाए ताकि भविष्य में विद्यार्थियों को इस प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

पुलिस लाईन में एसएसपी ने पौधरोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुक्रवार को जिला स्तरीय एकता वृक्ष अभियान के तहत पुलिस अधिकारियों व जवानों के द्वारा यहां के पुलिस लाईन में पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने फलदार वृक्ष लगाकर देश की एकता, अखंडता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि एकता वृक्ष अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को एकजुट करके पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण के प्रति जागरूक करना है। यह कार्यक्रम बिगड़ते पर्यावरण संतुलन, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से निपटने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ व सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने हेतु कारगर साबित होगा।पुलिस लाईन में एसडीओपी अभिषेक पैंकरा, रक्षित निरीक्षक अशोक गिरी सहित बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी व जवानों ने विभिन्न प्रकार के पौधों का रोपण कर पेड़ होते तक उसकी देखभाल करने का संकल्प लिया।

मनरेगा के स्थान पर लागू हुई वीबी जी राम जी योजना

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में जिले में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी जी रामजी) का शुभारंभ किया गया। जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित वीबी जी राम जी सम्मेलन-सह-शुभारंभ कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित शुभारंभ समारोह का लाइव प्रसारण देखा गया। इस दौरान योजना के उद्देश्यों, नवीन प्रावधानों एवं ग्रामीण विकास में इसकी भूमिका से उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं श्रमिकों को अवगत कराया गया।

राष्ट्रीय स्तर पर हुए शुभारंभ कार्यक्रम के लाइव प्रसारण में बताया गया कि मनरेगा के स्थान पर अब वीबी जी राम जी लागू हो गई है, जिसके अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को 100 दिन की जगह अब वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान की जाएगी। साथ ही दैनिक मजदूरी दर बढ़ाकर 300 रुपये निर्धारित किया गया है, जिससे ग्रामीण श्रमिकों की आय और आजीविका को नई मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में योजना के विभिन्न प्रावधानों, क्रियान्वयन प्रक्रिया तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और आजीविका संवर्धन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं स्व-सहायता समूहों से योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए अधिक से अधिक पात्र ग्रामीणों तक इसका लाभ पहुंचाने की बात कही गई।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हीरामुनी निकुंज, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर सहित निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, समूह की महिलाएं, श्रमिकगण सहित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।

न्यायालय तहसीलदार दरिमा
जिला–सरगुजा (छ.ग.)
राजस्व प्रकरण/ब–121/2026

ईश्तहार (उद्घोषण)

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम कंठी थाना व तहसील दरिमा को सूचित किया जाता हैं। कि आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती समुन्द्री बाई पति शिवरतन राजवाडे निवासी ग्राम कंठी थाना व तहसील दरिमा जिला सरगुजा, छ०ग० के द्वारा उनके मौसी केन्दल की मृत्यु दिनांक 20/07/2008 है, तथा स्थान कंठी में हुआ है।

इस संबंध में किसी व्यक्ति को कोई दावा/आपत्ति हो तो लिखत में स्वयं या अपने अधिवक्ता के द्वारा दावा/आपत्ति दिनांक 07/07/2026 तक प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर सुनावाई हेतु विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 23/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

कार्यपालिक दंडाधिकारी
दरिमा जिला सरगुजा (छ०ग०)

न्यायालय तहसीलदार दरिमा
जिला–सरगुजा (छ.ग.)
राजस्व प्रकरण/ब–121/2026

ईश्तहार (उद्घोषण)

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि ग्राम कंठी थाना व तहसील दरिमा को सूचित किया जाता है। कि आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती समुन्द्री बाई पति शिवरतन राजवाडे निवासी ग्राम कंठी थाना व तहसील दरिमा जिला सरगुजा, छ०ग० के द्वारा उनके मामा बधोलन की मृत्यु दिनांक 15/08/2008 है, तथा स्थान कंठी में हुआ है।

इसस समबंध में किसी व्यक्ति को कोई दावा/आपत्ति हो तो लिखत में स्वयं या अपने अधिवक्ता के द्वारा दावा/आपत्ति दिनांक 07/07/2026 तक प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर सुनावई हेतु विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 23/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

कार्यपालिक दंडाधिकारी
दरिमा जिला सरगुजा (छ०ग०)

न्यायालय नायब तहसीलदार
दरिमा जिला–सरगुजा (छ.ग.)
रा.प्र.क./अ–6/25–26
ग्राम कंठी तहसील दरिमा

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता कि, आवेदक गुलनाज परवीन पत्नि मोहम्मद महताब आलम निवासी गौसिया नगर रिंग रोड खरसियापारा श्रीगढ़ अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा ग्राम कंठी प०ह०न० 03 रा०. नि०मं० सोहगा तहसील दरिमा में स्थित भूमि ख0न0 194/11 रकबा 0.040 हे० भूमि का बी–1, खसरा, आधार कार्ड, विक्रय पत्र, एवं वर्तमान भूमि स्की की मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति, संलग्न कर वाद भूमि के राजस्व अभिलेख में मृतक के विधिक वारिस आवेदिका अपने स्वंय को बताते हुए वर्तमान भूमि स्वी का नाम राजस्व अभिलेख से विलोपित कर अपने नाम से नामान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत की है। अतः उपरोक्त संबध मे जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 15/07/2026 तक अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के उपरांत किसी भी का दावा/आपत्ति प्राप्त होने पर इस पर विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 05/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पद मुद्रा से जारी।

नायब तहसीलदार,
दरिमा जिला–सरगुजा

शराब की लत राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पण्डो समाज की निगल रही जिंदगी

समाज की मांग, पण्डो बाहुल्य गांवों में नियमित पुलिस, आबकारी और प्रशासनिक अभियान चलाया जाए

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

चांदनी बिहारपुर। छत्तीसगढ़ की विशेष संरक्षित जनजातियों में शामिल पण्डो समाज आज अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कभी देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद द्वारा संरक्षण प्राप्त यह जनजाति अब शराब की लत, घटती जनसंख्या और लगातार हो रही असमय मौतों के कारण गंभीर संकट में है। समाज के लोगों का कहना है कि यदि सरकार ने अब भी ठोस और प्रभावी कदम नहीं उठाए, तो आने वाले वर्षों में इस जनजाति का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। पण्डो समाज उन दुर्लभ जनजातियों में गिना जाता है जिनकी संख्या पहले से ही बहुत कम है। सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, छात्रवृत्ति, आवास और अन्य योजनाओं के माध्यम से इन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन शराब की बढ़ती लत ने विकास की रफ्तार को रोक दिया। आज स्थिति यह है कि कई गांवों में युवा, अधेड़ और बुजुर्ग लगातार शराब के कारण असमय मौत का शिकार हो रहे हैं।

राष्ट्रपति ने इसलिए दिया था विशेष संरक्षण

वर्ष 1952 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने इस जनजाति के संरक्षण और विकास पर विशेष ध्यान देने की पहल की थी। उद्देश्य था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं के माध्यम से इस दुर्लभ समुदाय को विलुप्त होने से बचाया जा सके। समय के साथ सुविधाएं तो बढ़ीं, लेकिन नशे की समस्या आज भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। समाज के लोगों के अनुसार शराब अब केवल एक आदत नहीं, बल्कि विनाश का कारण बन चुकी है। अत्यधिक शराब सेवन से मौतें, सड़क दुर्घटनाएं, घरेलू हिंसा, मारपीट और आत्महत्या जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हर वर्ष कई परिवार अपने कमाने वाले सदस्य को खो रहे हैं, जिससे आर्थिक और सामाजिक संकट और गहरा रहा है।

नहीं उठा पा रहे सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ

सरकार की ओर से छात्रवृत्ति, नि:शुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार योजनाएं और अन्य लाभ उपलब्ध हैं, लेकिन शराब की लत के कारण अनेक परिवार इन योजनाओं का समुचित लाभ नहीं उठा पा रहे। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, खेती-किसानी कमजोर पड़ रही है और रोजगार के अवसर भी छूट रहे हैं। जानकारी के अनुसार पण्डो समाज का निवास मुख्य रूप से सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कोरिया, कोरबा, रायगढ़, एमसीबी और जीपीएम जिलों में है। अनुमान है कि पूरे छत्तीसगढ़ में इनकी कुल आबादी लगभग 40 से 45 हजार के बीच है। समाज का कहना है कि लगातार हो रही असमय मौतें इस संख्या को और तेजी से घटा रही हैं।ओड़गी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत खोहिर के आश्रित ग्राम बैजनपाठ में लगभग 30 पण्डो परिवार रहते हैं। यहां की आबादी करीब 150 बताई जाती है। स्थानीय जानकारी के अनुसार पिछले लगभग पांच वर्षों में अत्यधिक शराब सेवन से कई मौत हो चुकी है। फुलकुंवर पण्डो, छोटे सोनसाय, जीतलाल, मेहीलाल, सूरजलाल, खरू, जनकधारी सहित कई लोगों की मौत होने की जानकारी समाज ने दी है। पण्डो समाज के अध्यक्ष विनोद कुमार पण्डो, उपाध्यक्ष शिवराम पण्डो, कार्यवाहक अध्यक्ष उदय कुमार पण्डो, सचिव देवचंद राम पण्डो, सह सचिव मोहरलाल पण्डो सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि समाज लगातार नशामुक्ति अभियान चला रहा है, लेकिन केवल जागरूकता से समस्या का समाधान नहीं हो रहा।

समाज ने मांग की है कि पण्डो बहुल गांवों में नियमित पुलिस, आबकारी और प्रशासनिक अभियान चलाया जाए। अवैध शराब बनाने और बेचने वालों पर कठोर कार्रवाई हो तथा नशामुक्ति शिविर, स्वास्थ्य जांच और पुनर्वास कार्यक्रम भी शुरू किए जाएं। यह मुद्दा केवल एक गांव या एक परिवार का नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की एक दुर्लभ विशेष संरक्षित जनजाति के भविष्य का है।

यदि समय रहते प्रभावी नशामुक्ति अभियान, सख्त कार्रवाई, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और सामाजिक पुनर्वास की ठोस योजना नहीं बनी तो आने वाले वर्षों में पण्डो समाज के अस्तित्व पर गंभीर संकट और गहरा सकता है।

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर
जिला–सरगुजा (छ.ग.)
रा०प्र०क्र०/अ–27/2024–25

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सौरभ त्रिपाठी आ. स्व. दुर्गाचरण त्रिपाठी, निवासी रिंग रोड, चांदनी चौक के पास, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ.ग. के द्वारा ग्राम अम्बिकापुर स्थित खसरा नंबर 1772/2, 1773/2, 1774/2, 1776/2, 1780/9, 1780/11 रकबा क्रमशः 0.077, 0.012. 0.033 0.012, 0.008 0.004 हे. भूमि को उभयपक्ष के मध्य में बटवारा किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 06/07/2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिभाषक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा–आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय–सीमा के बाद प्राप्त दावा–आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांक 11/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पद मुद्रा से जारी।

तहसीलदार
अम्बिकापुर सरगुजा

न्यायालय नायब तहसीलदार
तहसील भैयाथान
जिला सूरजपुर (छ०ग०)
रा.प्र.क्र. ब/121 वर्ष
ग्राम कुर्रीडिह प.ह.न. 04

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुंदर पिता झुरई जाति पंडो निवासी ग्राम कुर्रीडीह प.ह.न. 04 रा.नि.मं. शिवप्रसादनगर भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०) द्वारा किया गया है कि आवेदक के माता इन्जोरिया का मृत्यु दिनांक 04/12/2009 को ग्राम कुर्रीडीह में हुई है. अज्ञानतावश मृत्यु पंजीयन नही करा पाया है। आवेदक अपने माता इंजो. रिया का मृत्यु पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत कुर्रीडीह को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 17/07/26 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नियत तिथी के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 02/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

कार्यपालिक दंडाधिकारी
भैयाथान जिला सूरजपुर

न्यायालय नायब तहसीलदार
तहसील भैयाथान
जिला सूरजपुर (छ०ग०)
रा.प्र.क्र. ब/121 वर्ष
ग्राम प.ह.न.

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रामपति पिता रिझन जाति पाण्डो निवासी ग्राम कुर्रीडीह पहन 04 रा.नि.मं.शिवप्रसादनगर भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक का भाई सुखराम का मृत्यु दिनांक 12/12/2009 को ग्राम कुर्रीडीह में हुई है, अज्ञानतावश मृत्यु पंजीयन नहीं करा पाया है। आवेदक अपने भाई का मृत्यु पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत कुर्रीडीह को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 17/07/2026 आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नियत तिथी के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 02/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

कार्यपालिक दंडाधिकारी
भैयाथान जिला सूरजपुर

छात्रावासी बच्चों के साथ अधीक्षक करें अभिभावक जैसा व्यवहार : रेना जमील

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। शुक्रवार को यहां जिला पंचायत कार्यालय के सभाकक्ष में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आश्रम-छात्रावासों के अधीक्षकों की जिला स्तरीय समीक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने अधीक्षकों को छात्रावासी बच्चों के समग्र विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन और बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि छात्रावास में रहने वाले बच्चों के प्रति अधीक्षक अभिभावक जैसा व्यवहार करें तथा निर्धारित मेन्यू के अनुसार पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराएं। उन्होंने बच्चों की स्वच्छता, स्वास्थ्य और नियमित अध्ययन पर विशेष ध्यान देने के साथ परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत रखने के निर्देश दिए। साथ ही निबंध लेखन, शुद्धलेख, चित्रकला, नाटक जैसी साप्ताहिक प्रतियोगिताएं आयोजित करने, समाचार पत्र पढ़ने की आदत विकसित कराने तथा प्रार्थना सभा में प्रमुख समाचार और प्रेरक विचार साझा कराने पर भी जोर दिया। कलेक्टर ने सहायक आयुक्त को छात्रावासी बच्चों के लिए करियर काउंसलिंग तथा निकटवर्ती विद्यालयों के पीटीआई के सहयोग से खेल एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियों की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विजेंद्र सिंह पाटले ने अधीक्षकों को पूरी जिम्मेदारी और सजगता के साथ कार्य करने, छात्रावास में निवास सुनिश्चित करने तथा किसी भी आकस्मिक घटना की सूचना तत्काल विभागीय अधिकारियों को देने के निर्देश दिए। सहायक आयुक्त घनश्याम कुमार सिंह ने छात्रावास संचालन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया। उन्होंने संस्था प्रबंधन, मेस संचालन, स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, शैक्षणिक और सह-शैक्षणिक गतिविधियों, अभिलेख संधारण, पालक एवं निगरानी समिति की बैठक तथा कानूनी प्रावधानों के पालन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष सभी छात्रावासों में बच्चों को चार समूहकृअरावली, नीलगिरी, शिवालिक और उदयगिरी हाउसकृ में विभाजित कर नेतृत्व क्षमता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित की जाएगी। उन्होंने अधीक्षकों को नवोदय, एकलव्य, प्रयास और जवाहर उत्कर्ष जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने, गृहकार्य का नियमित पर्यवेक्षण करने, विद्यालयों से बच्चों की उपस्थिति एवं शैक्षणिक प्रगति की जानकारी लेने, शत-प्रतिशत जाति प्रमाण पत्र बनवाने, कंप्यूटर पर टाइपिंग प्रशिक्षण दिलाने, वृक्षारोपण, वाटर हार्वेस्टिंग तथा किचन गार्डन जैसी गतिविधियों को भी नियमित रूप से संचालित करने के निर्देश दिए।कार्यशाला में सहायक संचालक विजेंद्र एक्का, सभी मंडल संयोजक, कनिष्ठ लेखा अधिकारी नजीर अहमद खान, छात्रावास शाखा प्रभारी विकास कुशवाहा, अर्जुन सिंह सहित जिले के सभी आश्रम एवं छात्रावासों के अधीक्षक उपस्थित रहे।

संपर्क करें
समाचार, ईश्तहार, विज्ञापन हेतु संपर्क करें।
दैनिक छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन
गौरव पथ, गुरूद्वारा के पास बाबूपारा अम्बिकापुर
मो. 7566950555
9713108088

सरगुजा फ्रंटलाइन

भाजपा सांसद के आश्वासन के बाद भी बरसात में 85 गरीबों के आशियाने पर बुलडोजर चला

पूर्व उपमुख्यमंत्री सिंहदेव ने प्रभावितों से की मुलाकात, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। रायपुर के माना स्थित नकटी गांव में विधायक कॉलोनी बनाने के नाम पर बरसात में गरीबों के 85 घरों पर भाजपा सरकार की बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। सोमवार को प्रदेश की भाजपा सरकार ने बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती करके भरी बरसात में 85 घरों पर बुलडोजर चलवा दिया, इनमें 32 मकान इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने थे। ग्रामीणों को भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आश्वासन दिया था कि बरसात में किसी व्यक्ति का घर नहीं तोड़ा जायेगा। इसके बावजूद सोमवार को प्रशासन ने गरीबों के आशियाने पर बुलडोजर चलवा दिया।

गुरुवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ग्राम नकटी के दौरे पर गये और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। इसके उपरांत प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेशभर में मुख्यमंत्री के पुतला दहन के कार्यक्रम की घोषणा की, जिसके अनुसरण में शुक्रवार को पूरे प्रदेश के साथ सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में घड़ी चौक पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक के नेतृत्व में मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। पुलिस के साथ भारी झूमा-झटकी के दौरान हुये पुतला दहन के कार्यक्रम में जेपी श्रीवास्तव, हेमंत सिन्हा, संजय विश्वकर्मा, मो. इस्लाम, इंद्रजीत सिंह धंजल, सत्येंद्र तिवारी, जगन्नाथ कुशवाहा, नुरुल अमीन सिद्दीकी, दुर्गेश गुप्ता, प्रशांत सिंह चीकू, सरोज साहू, एपी शांडिल्य, डॉ. लालचंद यादव, अतुल तिवारी, रसीद अहमद, संजय सिंह, शांतनु मुखर्जी, विकल झा, जीवन यादव, धर्मेंद्र ताम्रकार, निकी खान, सतीश बारी, शुभम जायसवाल, विनोद एक्का, विक्रम सोनपाकर, दिलीप धर, आलोक गुप्ता, हिमांशु जायसवाल, रोशन कन्नौजिया, धनमीत छाबड़ा, परवेज आलम गांधी सहित काफी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित थे।

बलरामपुर में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया

बलरामपुर। जिला मुख्यालय में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर चांदो चौक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की झूमा-झटकी भी देखने को मिली। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नकटी गांव में कथित रूप से घर तोड़े जाने की घटना पर नाराजगी जताई। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरिहर प्रसाद यादव ने कहा कि नकटी गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में रात के समय लोगों के घर तोड़े गए, जो अमानवीय कार्रवाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने पीड़ित परिवारों के आवास की व्यवस्था किए बिना ही कार्रवाई की। उन्होंने मांग की, प्रभावित परिवारों को न्याय दिया जाए, उन्हें आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और जिन लोगों ने कथित अत्याचार किया है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। पुतला दहन कार्यक्रम में रिपुजित सिंह, छोटू बंगाली, सुनील गुप्ता, अमित यादव, रामदेव जगते, देवनारायण मरावी, संजीव गुप्ता, बुद्धदेव पोया, शौकत अली, महमूद अंसारी, इंतखाब अंसारी, नीरज गुप्ता, लालसाय मिंज सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

मानसून में घरों को उजाड़ना सुको के आदेश का उल्लंघन: पाठक

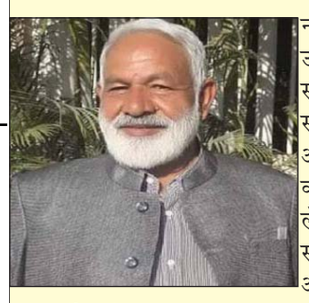

नकटी गांव के दौरे के बाद पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने सोशल मीडिया पर राज्य सरकार की इस कार्रवाई को अमानवीय और असंवेदनशील करार दिया है। इस घटना को लेकर भाजपा के अंदर भी सरकार और प्रशासन के प्रति असंतोष है। इसे रेखांकित करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा कि भाजपा सांसद मामले में सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि मानसून में लोगों के घरों को उजाड़ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। मुख्यमंत्री को एक अक्षम प्रशासक बतलाते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास आम जनता और मीडिया के सवालों का जवाब नहीं है। हर बात पर उनका बस एक ही जवाब है 'मोदी की गारंटी'। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पर सवाल उठाया कि प्रदेश के मुखिया होने के नाते प्रदेश और यहां की जनता के लिये उनकी कोई गारंटी है कि नहीं।

जिले में अब तक 72.4 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। भू-अभिलेख शाखा के अधिकारियों ने बताया कि जिले के सभी तहसीलों में 24 घण्टे के दौरान 12.1 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। इस दौरान सर्वाधिक 22.5 मि.मी. वर्षा तहसील लखनपुर में दर्ज की गई है। इसे मिलाकर पूरे जिले में 1 जून से अब तक 72.4 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि 01 जून 2026 से 03 जुलाई 2026 तक अंबिकापुर में 95.6, दरिमा में 53.3, लुण्ड्रा में 30.8, सीतापुर में 61.1, लखनपुर में 120.3, उदयपुर में 68.0, बतौली में 55.9 एवं मैनपाट में 94.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।

आंगनबाड़ी केंद्र में मिला एक बच्चा, सुपरवाइजर को नोटिस जारी, वेतन रोकने के निर्देश

कलेक्टर ने बतौली विकासखण्ड का दौरा करके ग्रामीणों से किया सीधे संवाद

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। कलेक्टर अजीत वसंत ने शुक्रवार को विकासखण्ड बतौली पहुंचकर विकास कार्यों का जायजा लिया। वे आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालयों, पहाड़ी कोरवा आश्रम, गली प्लग स्टोन स्ट्रक्चर, पीएम जनमन सड़क, पीएम जनमन आवास सहित अन्य विकास कार्यों का अवलोकन किये तथा ग्रामीणों से सीधे संवाद कर योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली, और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय कुमार अग्रवाल भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने केन्द्र में बच्चों की उपस्थिति, कुपोषित बच्चों की संख्या व बच्चों को दिए जा रहे पौष्टिक आहार की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करें, आंगनबाड़ी सहायिका एवं कार्यकर्ता समय पर केंद्र में उपस्थित रहें। गोविंदपुर के आंगनबाड़ी केंद्र के औचक निरीक्षण में केवल एक बच्चा उपस्थित मिला, केंद्र संचालन में लापरवाही पाए जाने पर उन्होंने आंगनबाड़ी सुपरवाइजर को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा वेतन रोकने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने केंद्र में बच्चों की कम उपस्थिति के कारणों की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए।

विद्यालयों का निरीक्षण कर देखी व्यवस्था

कलेक्टर ने गोविंदपुर में प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला, मूर्ताडांड में माध्यमिक शाला, चुटियापहरी प्राथमिक शाला, तराईडांड प्राथमिक शाला में शिक्षा व्यवस्था का अवलोकन किया। उन्होंने विद्यालय परिसर, कक्षाओं सहित शैक्षणिक गतिविधियों एवं विद्यार्थियों को दी जा रही सुविधाओं का अवलोकन करके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने एवं सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान देने शिक्षकों को निर्देशित किया। गोविंदपुर प्राथमिक शाला एवं चुटियापहरी प्राथमिक शाला में एकल शिक्षक होने पर अधिकारियों को तत्काल संज्ञान लेने के निर्देश देते हुए दोनों विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने तराईडांड प्राथमिक शाला में शिक्षकों की मांग पर किचन शेड एवं शौचालय हेतु डीएमएफ से स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं मूर्ताडांड माध्यमिक शाला में खेल सुविधा विस्तार हेतु कैरम, वॉलीबॉल, लूडो आदि खेल सामग्री प्रदान करने निर्देशित किया।

पहाड़ी कोरवा आश्रम में व्यवस्थाओं का अवलोकन

कलेक्टर ने पहाड़ी कोरवा आश्रम गोविन्दपुर के निरीक्षण दौरान परिसर का अवलोकन किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शयन कक्ष, रसोई, स्टोर, शौचालय आदि का जायजा लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने आश्रम में स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए तथा कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन देना सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं का भी अवलोकन किया। गली प्लग स्टोन स्ट्रक्चर, पीएम जनमन सड़क एवं पीएम जनमन आवास सहित अन्य कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश

कलेक्टर ने ग्रामीणों से मिलकर उनकी आवश्यकता एवं समस्याओं के सम्बन्ध में चर्चा की। उन्होंने सड़क, बिजली, पेयजल, आवास, राशन, शिक्षा एवं अन्य के सम्बन्ध में जानकारी ली। ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने कहा। गोविंदपुर, तराईडांड, चिपरकाया में सोलर लाइट में सुधार करने के निर्देश दिए गए। सेदम से गोविंदपुर में सड़क बनाने हेतु आवश्यक कार्ययोजना तैयार करने पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को निर्देशित किया। ग्रामीणों द्वारा बिजली नहीं आने सम्बन्धी समस्या कलेक्टर के समक्ष रखी, जिस पर उन्होंने सीएसपीडीसीएल के अधिकारियों को तत्काल जांच कर ट्रांसफार्मर में सुधार करवाने कहा।

युवक बड़बड़ाते पूरा रात बिताया, सुबह फांसी पर झूल गया, इलाज दौरान हुई मौत

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। जशपुर जिले का एक युवक परिवार के सदस्यों के साथ खाना खाकर सो गया, और कुछ देर बाद अपने आप में बड़बड़ाने लगा। गांव के वैद्य ने झाड़फूंक किया, तो कुछ देर के लिये वह शांत हो गया था। अगले दिन अज्ञात कारणों से फांसी का फंदा बनाकर झूल गया। स्वजन उसे फांसी से उतारकर क्षेत्रीय अस्पताल ले गये, यहां से रिफर करने पर अंबिकापुर लेकर पहुंचे, यहां इलाज के दौरान छठवें दिन उसकी मौत हो गई।

जानकारी के मुताबिक, जशपुर जिले के बगीचा थाना अंतर्गत ग्राम झगरपुर का रविशंकर पिता बसंत राम 30 वर्ष, 25 जून की शाम को अपने हाथ से खाना बनाया और सभी के साथ खाना खाकर सो गया था। शाम करीब 7 बजे उसे अपने आप बड़बड़ाते पत्नि सुशीला ने देखा, इसके बाद वह रात भर नहीं सोया। गांव से वैद्य को बुलाकर झाड़फूंक कराने के बाद रविशंकर करीब आधे घंटे तक सामान्य रहा, बाद में पूर्व जैसी स्थिति हो गई। सुबह करीब 8 बजे उसकी पत्नि घर से कुछ दूर कुआं में गई थी। गांव के पंच टिके यादव को रविशंकर के तबियत बिगड़ने की जानकारी मिली और वह उसे देखने के लिये उसके घर आया था। इस दौरान उसकी नजर गमछा के सहारे कंडी में फांसी का फंदा बनाकर लटके रविशंकर पर पड़ी और वह इसकी जानकारी घर में मौजूद उसके पिता बसंत और कुएं में गई पत्नि को दिया। इसके बाद फांसी का फंदा काटकर वे उसे उतारे और बगीचा स्वास्थ्य केन्द्र ले गये। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद रिफर करने पर 26 जून को मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल अंबिकापुर लेकर पहुंचे, यहां इलाज के दौरान 2 जुलाई को 1.30 बजे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।

कोटवार संघ ने सौंपा ज्ञापन, निष्पक्ष जांच और नियुक्ति प्रतिबंध हटाने की मांग

छ.ग.फ्रंटलाइन बलरामपुर। जिला मुख्यालय के साप्ताहिकबाजार में कोटवार संघ ने अपनी छह सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। संघ ने आरोप लगाया है कि बीते दिनों कोटवारों के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर बिना समुचित जांच और पक्ष सुने ही कार्रवाई की जा रही है, जिससे कोटवारों में नाराजगी है।

संघ ने मांग की है कि, कोटवारों को नियमित करते हुए राजस्व विभाग में संविलियन किया जाए, कोटवारों के पारिश्रमिक में वृद्धि करते हुए न्यूनतम पंद्रह हजार मासिक किया जाए। कोटवारों से अनावश्यक बेगारी नहीं लेने संबंधी आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाए। नगर पालिका निगम में कोटवारों की नियुक्ति पर लगाया गया प्रतिबंध तत्काल हटाया जाए। शिकायतों की निष्पक्ष और विधिवत जांच कराई जाए और बिना कोटवारों का पक्ष सुने किसी भी प्रकार की कार्रवाई न की जाए। कोटवार संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि, कोटवार ग्रामीण प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं, उनके हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष बसंत कुजूर ने उनके एक दिवसीय धरनास्थल पर पहुंचकर समर्थन दिया। उन्होंने प्रशासन से जल्द सकारात्मक निर्णय लेकर कोटवारों के हित में आदेश जारी करने की मांग की है।

कीटनाशक का सेवन की युवती को इलाज के बाद ले गये घर, पुनः तबियत बिगड़ी, हो गई मौत

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। कीटनाशक का सेवन की नवयुवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। जानकारी के मुताबिक, सूरजपुर जिला के जयनगर थानांतर्गत ग्राम सुंदरगंज लटोरी निवासी बलीराम 50 वर्ष का पूरा परिवार बीते 13 जून की शाम को खाना खाकर सो रहा था। उसकी लड़की रितु 19 वर्ष अकेले अपने कमरे में सो रही थी। रात करीब 10.30 बजे बलीराम लघुशंका के लिये उठा तो रितु आंगन के पास जमीन में लोट रही थी। जब वह उसके पास गया तो मुंह से कीटनाशक का गंध आ रहा था, मुंह से लार निकल रहा था। पास में ही घास मारने वाले दवा का डिब्बा पड़ा था। वे उसे स्वयं साधन से मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल अंबिकापुर लेकर पहुंचे, यहां 3 दिन तक इलाज चला। स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने पर चौथे दिन चिकित्सक ने उसे रिफर कर दिया। रायपुर मेकाहारा में करीब एक सप्ताह तक इलाज के बाद तबियत में थोड़ा सुधार हुआ और वह सामान्य रूप से चलने-फिरने और खाना खाने लगी। चिकित्सक ने कहा कि पूरी तरह से स्वस्थ्य होने में एक सप्ताह और समय लगेगा। इसके बाद वे अंबिकापुर में इलाज कराने की बात कहकर छुट्टी कराने के बाद लड़की को घर ले आये थे। एक दिन घर में रहने के बाद उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगा और पैर में सूजन आ गया। इसके बाद 29 जून को होलीक्रॉस अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराये। इलाज के दौरान 2 जुलाई को चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतिका के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 तक

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन नई दिल्ली एवं लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 हेतु शिक्षकों से प्रस्ताव ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित किया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सरगुजा जिले से जो शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 हेतु अपना नाम पुरस्कार हेतु प्रस्तावित करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन 15 जून से 10 जुलाई तक कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु समस्त प्रविष्टियां ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से होंगी। वेबसाइट के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 हेतु आवश्यक विस्तृत दिशा-निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। राज्य एवं केन्द्र शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई स्कूल, उ.मा.वि. के शिक्षक ही इस हेतु पात्र होंगे। सेवा निवृत्त शिक्षक, संविदा शिक्षक, शिक्षा मितान, शैक्षिक प्रशासक एवं निरीक्षक पात्र नहीं होंगे। पुरस्कार हेतु नामांकित शिक्षक को अपना प्रस्तुतीकरण देना होगा। आवेदन करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध किसी प्रकार का विभागीय, न्यायिक प्रकरण लंबित नहीं होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को ही चयनित किया जाएगा। किसी आवेदन की हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं की जायेगी। उन्होंने बताया कि वेबसाइट के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 हेतु विस्तृत दिशा निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक शिक्षकों से ऑनलाइन प्रविष्टियां निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रुप से पूर्ण करने कहा गया है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक- मनीष पाठक द्वारा स्पीड प्रिंटर्स व आफसेट पुराना पोस्ट ऑफीस रोड दरीपारा अम्बिकापुर पिन नं. 497001 (छत्तीसगढ़) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-रणविजय सिंह तोमर